केवल कार्यालय उपयोग हेतु

# त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2026

## निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु निर्देश पुस्तिका

राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश,
पी0सी0एफ0 भवन, 32–स्टेशन रोड,
लखनऊ।

# प्रस्तावना

"भारत का संविधान" में देशवासियों को प्रदत्त वयस्क मताधिकार लोकतन्त्र का आधार है। संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़, सक्षम और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम (अधिनियम संख्या–9 वर्ष 1994) प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 प्रख्यापित की गई। उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण में पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए त्रुटिहीन, शुद्ध एवं परिपूर्ण निर्वाचक नामावली तैयार किया जाना परम् आवश्यक है।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयार और उनको अन्तिम रूप दिए जाने का कार्य विभिन्न चरणों में पूर्ण किया जाता है। निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण के कार्य को सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा इस प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है। यद्यपि निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इस निर्देश पुस्तिका में सम्मिलित किया गया है तथापि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अपेक्षा है कि इस सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के प्रावधानों का भी भलीभाँति अध्ययन कर लें और अपनी जानकारी को अद्यतन रखें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह निर्देश पुस्तिका जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के निमित्त नियोजित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्हें सौंपे गए दायित्वों का बोध कराने एवं उनके कर्तव्य निर्वहन में बहुत उपयोगी एवं मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

लखनऊ।

दिनाँक : मार्च, 2025

राज प्रताप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

# विषय सूची


| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | प्रस्तावना | |
| 1. | निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्व | 1 |
| 2. | निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु प्रचार–प्रसार | 4 |
| 3. | कार्मिकों की नियुक्ति | 5 |
| 4. | प्रशिक्षण | 7 |
| 5. | निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर पाण्डुलिपियाँ तैयार करना | 10 |
| 6. | निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही | 11 |
| 7. | अनन्तिम निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन | 13 |
| 8. | दावा एवं आपत्ति दाखिल करना | 14 |
| 9. | दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण | 15 |
| 10. | अन्तिम पूरक सूचियों की तैयारी और कम्प्यूटरीकरण | 17 |
| 11. | निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन | 18 |
| 12. | अपील | 19 |
| 13. | निर्वाचक नामावली की अभिरक्षा और परिरक्षण | 20 |
| 14. | ई–बी0एल0ओ0 मोबाईल ऐप (E-BLO Mobile App) | 21 |

# संलग्नक



| क्र.सं. | संलग्नकों का विवरण | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | संलग्नक–1 | उ0प्र0 पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 | 22 |
| 2. | प्रपत्र–1 | निर्वाचक नामावली के आलेख्य के प्रकाशन की सूचना | 29 |
| 3. | प्रपत्र–2 | नाम सम्मिलित किये जाने के लिये दावा/आवेदन–पत्र | 30 |
| 4. | प्रपत्र–3 | किसी प्रविष्टि के विवरण में संशोधन हेतु आवेदन–पत्र | 33 |
| 5. | प्रपत्र–4 | सम्मिलित नाम पर आपत्ति का आवेदन–पत्र | 34 |
| 6. | प्रपत्र–5 | दावा और आपत्तियों की सूची के लिए प्रपत्र | 36 |
| 7. | प्रपत्र–6 | नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति/नाम विलोपित किए जाने के लिये आवेदन की रसीद तथा उन पर सुनवाई की तिथि की सूचना | 37 |
| 8. | प्रपत्र–7 | निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन की सूचना | 38 |
| 9. | संलग्नक–2 | ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु सार्वजनिक सूचना | 39 |
| 10. | संलग्नक–3 | सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नियुक्ति आदेश | 40 |
| 11. | संलग्नक–4 | समन्वयक अधिकारी का नियुक्ति आदेश | 41 |
| 12. | संलग्नक–5 | सहायक समन्वयक अधिकारी का नियुक्ति आदेश | 42 |
| 13. | संलग्नक–6 | बी0एल0ओ0 का नियुक्ति आदेश | 43 |
| 14. | संलग्नक–7 | बी0एल0ओ0 का परिचय पत्र | 44 |
| 15. | संलग्नक–8 | पर्यवेक्षक का नियुक्ति आदेश | 45 |
| 16. | संलग्नक–9 | पर्यवेक्षक का परिचय पत्र | 46 |
| 17. | संलग्नक–10 | निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य हेतु बी0एल0ओ0/पर्यवेक्षक लगाए जाने हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण | 47 |
| 18. | संलग्नक–11 | निर्वाचक गणना पत्रक | 49 |
| 19. | संलग्नक–12 | बी0एल0ओ0 के लिये सामान्य अनुदेश | 51 |
| 20. | संलग्नक–13 | पुनरीक्षण कार्य पूर्ण होने पर बी0एल0ओ0 द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र | 55 |
| 21. | संलग्नक–14 | पर्यवेक्षक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र | 57 |
| 22. | संलग्नक–15 | सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र | 58 |
| 23. | संलग्नक–16 | परिवर्धन सूची | 59 |
| 24. | संलग्नक–17 | संशोधन सूची | 60 |
| 25. | संलग्नक–18 | विलोपन सूची | 61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26. | संलग्नक–19 | अनन्तिम पंचायत निर्वाचक नामावलियों का प्ररूप | 62 |
| 27. | संलग्नक–20 | निर्वाचक नामावली से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने सम्बन्धी विनिश्चय की सूचना विषयक प्ररूप | 63 |
| 28. | संलग्नक–21 | सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील | 64 |
| 29. | संलग्नक–22 | अपील प्राप्ति की रसीद व उस पर सुनवाई के दिनांक की सूचना | 66 |
| 30. | संलग्नक–23 | सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील में पारित किये गए आदेश के अनुसार मतदाता सूची में संशोधन हेतु सूचना। | 67 |
| 31. | संलग्नक–24 | निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने से संबंधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) के संहत प्रावधानों का उद्धरण। | 68 |

# अध्याय–1

# निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्व

"भारत का संविधान" के 73 वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़, सक्षम और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम (संख्या–9/1994) प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 **(संलग्नक–1)** प्रख्यापित की गई है। उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) की धारा–9 के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन तैयार की जाती है। निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने तथा उनके सम्बन्ध में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा कर अन्तिम रूप से निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) तैयार करने का दायित्व प्रत्येक जनपद में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पदाभिहित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के नियम–3 (1) के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) और अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) का पद सृजित न होने अथवा पद रिक्त होने की दशा में अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित किया गया है। साथ ही यह आदेश दिए गए हैं कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक तहसील के उप जिलाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील में तहसीलदार को भी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सहयोग हेतु अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के नियम–3 (1) के अधीन प्रत्येक जनपद के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचक नामावली को तैयार करने तथा उसके वृहद् पुनरीक्षण का मुख्य दायित्व होगा। वह उक्त कार्य के सम्पादन के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, बी0एल0ओ0 तथा निर्वाचक नामावली की तैयारी के लिए अन्य कर्मियों को नियुक्त करेगा। प्रत्येक तहसील के लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने, उनका मार्गदर्शन करने तथा उनके कार्य–प्रगति की निरन्तर समीक्षा करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी होगा।

## निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्व :–

1.1.1 राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के नियमों के अनुसार अपने जनपद में निर्वाचक नामावलियों को तैयार किए जाने, उनके पुनरीक्षण तथा तत्सम्बन्धी समस्त कृत्यों का सम्पादन करना।

1.1.2 पंचायत की निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायतवार/वार्डवार तथा मतदान केन्द्र/मतदान स्थलवार तैयार करवाना।

1.1.3 निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण में आयोग द्वारा घोषित समय सारिणी के अनुसार कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना तथा राजनैतिक दलों की जिला इकाइयों, संसद और विधान मण्डल के सदस्यों, पंचायतों के पदाधिकारियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम की लिखित सूचना देना। इसके अतिरिक्त सामान्य जनता की जानकारी के लिए लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, हैण्डबिल, पैम्फलेट छपवाकर वितरित कराना।

1.1.4 निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के समय उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुसार बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर निर्वाचक गणना पत्रक में परिवर्धन, संशोधन, विलोपन, नवनिर्मित तथा छूटे हुए मकानों के अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करने की कार्यवाही तथा पुनरीक्षण वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को भी निर्वाचक के रूप में सम्मिलित करते हुए नए सिरे से निर्वाचक नामावलियाँ तैयार कराना।

1.1.5 वाँछित संख्या में बी0एल0ओ0/पर्यवेक्षकों/दावा आपत्ति प्राप्त करने वाले कर्मियों, समन्वयक अधिकारी, सहायक समन्वयक अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति विषयक कार्यवाही।

1.1.6 पर्यवेक्षकों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का भी स्पष्ट विभाजन करना होगा।

1.1.7 वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्पादन के लिए उपर्युक्तानुसार नियोजित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना।

1.1.8 वृहद् पुनरीक्षण के समय पंचायत क्षेत्र में अर्ह निर्वाचकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर गणना करने के साथ–साथ परिवार के मुखिया को आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचक गणना पत्रक की कार्बन प्रति उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए जनपद की आवश्यकतानुसार आयोग द्वारा मुद्रित एवं उपलब्ध कराए गए निर्वाचक गणना कार्डों को बी0एल0ओ0 को उपलब्ध कराना।

1.1.9 बी0एल0ओ0 द्वारा निर्वाचक गणना कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पाण्डुलिपियाँ तैयार की जाती हैं। पाण्डुलिपियों के तैयार होने के पश्चात् निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु निर्देश पुस्तिका के अध्याय–6 (निर्वाचक नामावलियों का कम्प्यूटरीकरण) में दिये गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के मुद्रण की व्यवस्था करना।

1.1.10 पाण्डुलिपि के आधार पर मुद्रित निर्वाचक नामावलियों का विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार दावा/आपत्ति हेतु प्रकाशन तथा जन सामान्य द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतियाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

1.1.11 निर्वाचक नामावली के अनन्तिम प्रकाशन के उपरान्त दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नाम निर्दिष्ट/नियुक्त करना तथा ऐसे प्राधिकृत कर्मियों को वाँछित संख्या में प्ररूप आदि उपलब्ध कराना।

1.1.12 पुनरीक्षण सम्बन्धी प्राप्त दावों तथा आपत्तियों का सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से निर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार निपटारा कराना तथा प्रत्येक ऐसे मामले में न्याय संगत विनिश्चय अभिलिखित कराना।

1.1.13 दावे तथा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की व्यवस्था करना।

1.1.14 निर्वाचक नामावली पर प्राप्त दावे तथा आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख और अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतियों को आयोग द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाना।

1.1.15 निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ निर्धारित शुल्क पर देने की व्यवस्था करवाना व इस प्रकार प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा करवाना।

1.1.16 निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप समन्वय सम्बन्धी समस्त कार्य।

1.1.17 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में जनपद का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र रहेगा तथा वह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश देने तथा उनके कार्य की निरन्तर समीक्षा और अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अंदर निर्वाचक नामावली तैयार कराने के दायित्व का निर्वहन करेगा।

## 1.2 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्व :–

1.2.1 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण और निदेशन में रहते हुए आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

1.2.2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस निमित्त आयोग के आदेशों/निर्देशों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायतों की वार्डवार तथा मतदान स्थलवार निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने, उसके पुनरीक्षण और प्रकाशन के लिए ऐसे कर्मचारियों जैसे पर्यवेक्षक, बी0एल0ओ0 आदि को जैसा वे उचित समझें, तैनात किया जा सकता है।

1.2.3 पर्यवेक्षक एवं बी0एल0ओ0 के रूप में कर्मचारियों की तैनाती हेतु अपनी तहसील के अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों से कर्मचारियों का विवरण निर्धारित प्ररूप पर प्राप्त करना।

1.2.4 निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु आयोग द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, उस कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार प्रतियाँ जनपदों में अलग से तैयार करके रखी जाएंगी ताकि सम्बन्धित अधिकारी यथा जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा बी0एल0ओ0 उक्त कार्यक्रम की प्रति हर समय अपने साथ रख सकें तथा उसके अनुसार निर्धारित समयावधि में इस पुनीत कार्य को सम्पन्न करा सकें।

1.2.5 वर्ष, 2020–21 में तैयार कराई गई निर्वाचक नामावली एवं समय–समय पर कराए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गईं पूरक सूचियों को समाहित करके जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा तैयार की गई मूल निर्वाचक नामावली (मदर रोल) बी0एल0ओ0 को उपलब्ध कराना।

1.2.6 बी0एल0ओ0 द्वारा तैयार किये गए निर्वाचक गणना कार्डो के 2 प्रतिशत मकानों की स्वतंत्र जांच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी की जाएगी।

## अध्याय–2

# निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु प्रचार–प्रसार

वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा। राजनैतिक दलों की जिला इकाइयों, संसद और विधान मण्डल सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों व सदस्यों और जिला पंचायत के अध्यक्षों तथा सदस्यों को यथा सम्भव लिखित रूप से पुनरीक्षण कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी। वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना निर्धारित प्ररूप (**संलग्नक–2**) पर स्थानीय लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाएगी। इस हेतु जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रयास यह किया जाए कि उक्त सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ (फ्रन्ट पेज) पर प्रकाशित हो। ग्राम पंचायतों में डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी कराई जाए जिससे ग्रामीण जनता को इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी हो सके। जनता को व्यापक जानकारी कराने हेतु पैम्फलेट/हैण्ड बिल तथा पोस्टर भी मुद्रित कराकर वितरित किए जाएं। हैण्डबिल/पैम्फलेट ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से प्रति ग्राम पंचायत में 50 की दर से वितरित करा दिए जाएं और इसी प्रकार प्रति ग्राम पंचायत 10 पोस्टर सहज दृष्टव्य स्थानों पर चिपकवा दिए जाएंगे। युवा कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र अथवा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जा सकता है। प्रचार–प्रसार का समस्त कार्य समयबद्व रूप से मितव्ययिता के आधार पर कराया जाना है तथा प्रयास यह किया जाए कि अधिकांश कार्य निःशुल्क अथवा न्यूनतम व्यय में सम्पादित हो जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने प्रभाव का सही प्रयोग कर मितव्ययिता में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक जनपद के लिए प्रचार–प्रसार हेतु कुछ धनराशि अलग से भी आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही इस मद का व्यय सीमित रखा जाए।

# अध्याय–3

# कार्मिकों की नियुक्ति

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेशन में कार्य करने हेतु उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत बी0एल0ओ0 तथा बी0एल0ओ0 के कार्यों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नियुक्ति पत्र निर्धारित प्ररूप **(संलग्नक–3)** में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। प्रत्येक विकास खण्ड में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को समन्वयक अधिकारी (Co-ordinator Officer) **(संलग्नक–4)** एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सहायक समन्वयक अधिकारी (Assistant Co-ordinator Officer) **(संलग्नक–5)** नियुक्त किया जाए जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचकों के मध्य समन्वयक का कार्य करेंगे तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य में पूर्ण सहायता देंगे। इनकी नियुक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।

### 3.1 बूथ लेबल ऑफीसर (बी0एल0ओ0) की नियुक्ति :–

वृहद् पुनरीक्षण कार्य हेतु बी0एल0ओ0 के रूप में निम्नलिखित कर्मियों को नियुक्त किया जा सकता है :–

(1) लेखपाल

(2) जूनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक, शिक्षा मित्र

(3) अन्य राजकीय कर्मचारी

(4) उ0प्र0 सरकार के नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों के उपयुक्त कर्मचारी

(5) अन्य ग्राम स्तरीय कार्मिक जिन्हें उपयुक्त समझा जाए।

(6) यथासम्भव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराये गए पुनरीक्षण कार्य में लगे बी0एल0ओ0 को ही पंचायत के पुनरीक्षण कार्य हेतु लगाया जाए।

### 3.2 बूथ लेबल ऑफीसर (बी0एल0ओ0) की नियुक्ति निम्न आधार पर की जाएगी :–

(1) एक बी0एल0ओ0 को अधिकतम 3000 मतदाताओं के पुनरीक्षण का कार्य आवंटित किया जाए।

(2) एक मतदान केन्द्र पर यथासम्भव 01 बी0एल0ओ0 की नियुक्ति की जाए, परन्तु उस मतदान केन्द्र पर 3,000 से अधिक मतदाता न हों।

(3) एक मतदान केन्द्र पर 3,000 से अधिक मतदाता होने पर 01 से अधिक बी0एल0ओ0 की नियुक्ति की जाए एवं सभी नियुक्त किए जाने वाले बी0एल0ओ0 को यथा सम्भव बराबर–बराबर मतदान स्थल आवंटित किए जाएं।

(4) किसी भी दशा में 01 बी0एल0ओ0 को 01 से अधिक मतदान केन्द्र आवंटित न किया जाए, भले ही उस मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या मानक से कम ही हो ताकि दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु बी0एल0ओ0 मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह सकें।

यह ध्यान रखा जाय कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी बी0एल0ओ0 को मतदाताओं की संख्या इस प्रकार आवंटित की जाए कि कोई वार्ड/मतदान स्थल टूटकर दो बी0एल0ओ0 के मध्य न बँट जाए।

### 3.3 पर्यवेक्षक (Supervisor) की नियुक्ति

बी0एल0ओ0 के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु निम्नलिखित कर्मियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है :–

(1) राजस्व निरीक्षक

(2) सहायक विकास अधिकारी

(3) कृषि निरीक्षक

(4) सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक

(5) जनपद में उपलब्ध अन्य पर्यवेक्षण स्तर के कार्मिक। यह कार्मिक राजकीय कर्मचारी तथा उ0प्र0 सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम/निगम/निकाय आदि के हो सकते हैं।

### 3.4 पर्यवेक्षक (Supervisor) की नियुक्ति निम्न आधार पर की जाएगी :–

(1) प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर 01 पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।

(2) यदि कोई न्याय पंचायत अधिक बड़ी है और उसमें मतदान स्थलों की संख्या 20 से अधिक है तो उस न्याय पंचायत में अधिकतम 20 मतदान स्थलों तक 01 पर्यवेक्षक एवं 20 से अधिक मतदान स्थल होने की स्थिति में 01 से अधिक पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनके कार्य क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक पर्यवेक्षक को बराबर बराबर मतदान स्थल आवंटित हों।

(3) पर्यवेक्षक को कार्य आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक मतदान केन्द्र एक पर्यवेक्षक को ही आवंटित हो अर्थात् किसी भी स्थिति में एक मतदान केन्द्र को दो पर्यवेक्षकों को आवंटित न किया जाए।

3.5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को **संलग्नक–10** (निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य हेतु बी0एल0 ओ0/पर्यवेक्षक लगाये जाने हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण) उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वह अपनी तहसील के अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों से उक्त प्ररूप पर कार्मिकों का विवरण प्राप्त कर सकें।

3.6 आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गये Web Page Tool पर लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (A.E.R.O.) द्वारा बी0एल0ओ0 तथा पर्यवेक्षक की नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बी0एल0ओ0/पर्यवेक्षक को आवंटित किये गये मतदान स्थलों की मैपिंग (Mapping) की जाएगी।

## अध्याय–4

## प्रशिक्षण

घर–घर जाकर बी0एल0ओ0 के लिये विहित कार्य करने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के पूर्व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाए। पर्यवेक्षकों और बी0एल0ओ0 को दो दिनों में प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

### बी0एल0ओ0 द्वारा गणना पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियाँ दर्ज करना

4.1 बी0एल0ओ0 के क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के अनुसार निर्वाचक गणना पत्रक उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। बी0एल0ओ0 को घर–घर जाकर निर्धारित प्ररूप पर निर्वाचक गणना पत्रक **(संलग्नक–11)** तैयार करना होगा। निर्वाचक गणना पत्रक के ऊपर मुद्रित पुराना मकान/नया मकान के सम्मुख अंकित बॉक्स में स्थिति के अनुसार टिक (✓) का चिन्ह लगाया जाएगा। उपलब्ध कराई गई वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों (18 वर्ष या अधिक आयु) का विवरण तथा नव निर्मित मकान जिनमें निवास करने वाले अर्ह निर्वाचकों के नाम वर्तमान निर्वाचक नामावलियों में दर्ज नहीं हैं तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम जो पूर्व निर्मित मकानों में सामान्य रूप से निवास कर रहे थे, किन्तु उन सभी के नाम कदाचित् निर्वाचक नामावली में दर्ज करने से छूट गए थे, उनका नाम पूर्ण विवरण गणना पत्रक में दो प्रतियों में अंकित किया जाएगा।

निर्वाचक के रूप में किसी व्यक्ति की अर्हता और अनर्हता निम्नवत् होगी :–

4.1.1 प्रत्येक वह व्यक्ति जो उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जा रही है, की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में सामान्य रूप से निवासी है, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा परन्तु :–

(क) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जाए कि वह वहां का सामान्य रूप से निवासी है।

(ख) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी नहीं है।

(ग) यह विनिश्चय करने के लिए कि किसी व्यक्ति को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी समझा जाए या न समझा जाये, यह आवश्यक होगा कि वहां पर रात्रि निवास हेतु उसका किसी भी रूप में घर या मकान हो और वह वहां अधिकांशतः निवास करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सीजनल कार्य से किसी अल्प अवधि के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चला जाता है किन्तु उसके बाद पुनः आकर वहीं निवास करता है, निर्वाचक के रूप में अनर्ह नहीं हो जाएगा और इसी प्रकार किसी अल्प अवधि के लिये सीजनल कार्य

से किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को सामान्य रूप से उस क्षेत्र का निवासी नहीं माना जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में किसी व्यक्ति के सामान्य रूप से निवास करने की अवधारणा, उन सभी तथ्यों के आलोक में की जाए जिससे यह स्पष्ट हो कि अमुक व्यक्ति उक्त क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता है।

(घ) यदि किसी व्यक्ति का नाम सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा की निर्वाचक नामावली में दर्ज हो तो उसका नाम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाना चाहिए।

4.1.2 निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई व्यक्ति अनर्ह होगा यदि वह :—

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(ग) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

4.2 बी0एल0ओ0 के लिए विस्तृत अनुदेश निर्धारित प्ररूप (**संलग्नक—12)** में दिए गए हैं। बी0एल0ओ0 को आवंटित क्षेत्र के अन्तर्गत बी0एल0ओ0 द्वारा तैयार किये गए निर्वाचक गणना कार्डों की 10 प्रतिशत जाँच पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। इसमें उन मकानों की जाँच अवश्य कर ली जाए जो बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट में बन्द मिले हों और 2 प्रतिशत मकानों की उक्त आधार पर स्वतंत्र जाँच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अथवा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से आकस्मिक दौरों में बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यों की आकस्मिक जाँच भी अपेक्षित है ताकि वृहद् पुनरीक्षण कार्य की सत्यता, शुद्वता एवं परिपूर्णता संदेह से परे हो। कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर आयोग द्वारा बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षकों तथा अन्य अधिकारियों के लिए निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। बी0एल0ओ0 के कार्य क्षेत्र का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना होगा और उन्हें क्रमवार प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के मकान नं0 के साथ अलग—अलग तालिका और क्षेत्र का स्केच देना होगा ताकि निर्वाचक के घर एवं नाम की गणना सही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में ही हो। पर्यवेक्षकों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का भी स्पष्ट विभाजन करना होगा। इसके लिए प्रशिक्षण से पूर्व विस्तृत जानकारी एवं उनके क्षेत्र का स्केच उपलब्ध कराना होगा। यह कार्य ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों/लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों की सहायता से नायब तहसीलदार/सहायक विकास अधिकारी (पं0) के पर्यवेक्षण में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्पादित कराया जाएगा। इस कार्य में खण्ड विकास अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।

4.3 नवसृजित/प्रभावित ग्राम पंचायतों में मतदाताओं को वर्ष, 2021 की निर्वाचक नामावली से जनपद स्तर पर आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाएगा। नवसृजित/प्रभावित ग्राम पंचायतों में मतदाताओं के स्थानान्तरण होने तथा उनके वार्ड निर्धारण होने के पश्चात् उन नामावलियों की पी0डी0एफ0 फाइल जनपद स्तर पर तैयार की जाएगी। इस प्रकार नवसृजित/प्रभावित ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की नामावलियाँ तथा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से अप्रभावित ग्राम पंचायतों की पुरानी वर्ष, 2021 की निर्वाचक नामावली (मूल निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन व विलोपन सूचियों का

एकीकरण करने के उपरान्त) की दो प्रतियाँ जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी एक प्रति सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी एवं दूसरी प्रति बी0एल0ओ0 को उपलब्ध कराई जाएगी। यह कार्य प्रत्येक दशा में बी0एल0ओ0 द्वारा निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व जनपद स्तर पर पूर्ण कर लिया जाएगा। यह समस्त कार्य आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए (Tool) के माध्यम से ही होगा।

पर्यवेक्षक द्वारा बी0एल0ओ0 के कार्य की जाँच करने का प्रमाण–पत्र निर्धारित प्ररूप (**संलग्नक–14**) में दिया जाएगा। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की गयी जाँच का प्रमाण पत्र निर्धारित प्ररूप (**संलग्नक–15**) में दिया जाएगा ताकि इस कार्य की शुद्वता, सत्यता एवं परिपूर्णता सुनिश्चित हो सके।

प्रशिक्षण के समय बी0एल0ओ0 और पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दे दिए जाएं कि वे दिए गए आदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे। उन्हें यह भी निर्देश दिए जाएं कि एक ही जगह बैठकर निर्वाचक गणना पत्रक भरने का कार्य न करें। बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षकों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्य के आकस्मिक निरीक्षण हेतु अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाए कि वे जब भी निर्दिष्ट अवधि में विभागीय कार्य से अपने क्षेत्र में भ्रमण पर जाएं तो गणना कार्य की भी आकस्मिक जाँच कर लें। इससे शत प्रतिशत सही निर्वाचक नामावली को तैयार करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

## अध्याय–5

## निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर पाण्डुलिपियाँ तैयार करना

परिसीमन में दर्शाए गए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार घर–घर जाकर निर्वाचक गणना पत्रक पर निर्धारित प्रविष्टियों को दर्ज करने और जाँच का कार्य पूरा होने के उपरान्त इन पूरक सूचियों की हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ तीन प्रतियों में ग्राम पंचायतवार तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) वार तैयार की जाएगी। त्रुटिरहित एवं समयान्तर्गत हस्तलिखित पाण्डुलिपियों (सूचियों) को तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी :–

5.1 पाण्डुलिपियाँ तैयार करने का कार्य निर्धारित प्ररूप पर बी0एल0ओ0 और पर्यवेक्षकों से कराया जाए और उसका मिलान बी0एल0ओ0 को उपलब्ध कराई गई वर्तमान निर्वाचक नामावली तथा बी0एल0ओ0 द्वारा तैयार निर्वाचक गणना कार्डो से कराया जाए।

5.2 परिवर्धन सूची (**संलग्नक–16**), संशोधन सूची (**संलग्नक–17**) तथा अपमार्जन सूची (**संलग्नक–18**) 03 प्रतियों में तैयार की जाएगी जिनमें से 01 प्रति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में तथा 02 प्रति उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक के द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में जमा कराई जाएगी।

5.3 प्रत्येक सूची पर बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षक तथा उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर होंगे।

5.4 पाण्डुलिपि में प्रत्येक कागज पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाएगी तथा प्रत्येक सूची के अन्त में समस्त प्रविष्टियों की संख्या अंकन अर्थात् कुल महिला, कुल पुरूष तथा योग अंकित किया जाएगा।

5.5 पाण्डुलिपि सूची स्वच्छ एवं स्पष्ट सुलेख में तैयार की जाएगी अन्यथा कम्प्यूटरीकरण में असुविधा होगी और त्रुटिपूर्ण होने की आशंका रहेगी। किसी भी प्रकार की कटिंग होने पर बी0एल0ओ0/सक्षम अधिकारी द्वारा सूक्ष्म हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5.6 बी0एल0ओ0 को उपलब्ध कराई गई निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या व नाम स्पष्ट अंकित हो। पर्यवेक्षक अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें कि अपमार्जन एवं संशोधन की हस्तलिपि पाण्डुलिपि, जो बी0एल0ओ0 द्वारा उपलब्ध कराई गई है, मे क्रम संख्या व नाम स्पष्ट अंकित हैं।

5.7 पाण्डुलिपि में मुख्य प्रविष्टियाँ यथा ग्राम पंचायत का नाम वार्ड संख्या मतदान केन्द्र, मतदेय स्थल का नाम एवं मकान संख्या इत्यादि वही अंकित हों जो बी0एल0ओ0 को उपलब्ध कराई गई निर्वाचक नामावली में हैं।

5.8 किसी भी प्रविष्टि से पूर्व आदरसूचक शब्द यथा श्री/श्रीमती/कु0 इत्यादि अंकित न किए जाएं।

## अध्याय–6

## निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही

बी0एल0ओ0 द्वारा तैयार पाण्डुलिपियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाएगा। निर्वाचक नामावली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य जनपद द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में आयोग के सर्वर पर सीधे किया जाएगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा विकसित किये गए सॉफ्टवेयर को समस्त जनपदों को निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इसके संचालन सम्बन्धी विस्तृत तकनीकी दिशा–निर्देश आयोग द्वारा अलग से उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व समस्त जनपदों को नामावली के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रारम्भिक तैयारियाँ किए जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :–

6.1 निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण से सम्बन्धित अधिकारियों, पर्यवेक्षकों तथा बी0एल0ओ0 की नियुक्ति सम्बन्धी सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट में फीड किया जाएगा ताकि वेबसाइट के माध्यम से यह सूचना जनसामान्य हेतु उनकी जानकारी के लिए उपलब्ध हो सके।

6.2 ग्राम पंचायत के किसी भाग के नगरीय निकाय यथा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् या नगर निगम में शामिल होने के पश्चात् ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के पुनर्गठन के पश्चात् नवसृजित/समाहित/प्रभावित सभी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं को सम्बन्धित समाहित/प्रभावित सभी ग्राम पंचायतों के वार्डों में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही।

6.3 मतदाताओं को स्थानान्तरित किए जाने के पश्चात् जाँच हेतु उनके प्रिंटआउट निकालने की कार्यवाही।

6.4 जाँचोपरान्त वार्डों में मतदाताओं की त्रुटियों को ठीक करते हुए निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु निर्वाचक नामावलियों के प्रिंटआउट निकालने की कार्यवाही।

6.5 निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के पश्चात् मतदाताओं के डेटा के फीडिंग की कार्यवाही।

6.6 दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण होने के पश्चात् परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन को निर्वाचक नामावलियों में समाहित करते हुए निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन कराए जाने हेतु उनके प्रिंटआउट निकालने की कार्यवाही।

6.7 निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन से पूर्व मतदान केन्द्रों एवं मतदान स्थलों का rationalization किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया में नवसृजित, संशोधित तथा समाप्त किए गए मतदान केन्द्रों एवं मतदान स्थलों को वेबसाइट के माध्यम से डेटाबेस में फीड किया जाएगा। तत्पश्चात् विकास खण्डवार मतदान केन्द्रों एवं मतदान स्थलों का मैनुअल पद्धति से serialization कर उन्हें डेटाबेस में फीड किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में मतदान स्थल पर 800 से अधिक मतदाता न रखे जाएं। अपरिहार्य परिस्थितियों में एक मतदान स्थल पर 900 मतदाताओं की सीमा के अन्तर्गत मतदाता रखे जा सकते हैं।

6.8 आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2026 हेतु निर्वाचक नामावली के विवरण की डेटा फीडिंग ऑनलाइन मोड में की जाएगी ताकि निर्वाचक नामावली की तैयारी से सम्बन्धित डेटा सीधे आयोग के डेटाबेस में अपडेट हो सके। अतः उक्त कार्य हेतु उपयुक्त कार्य स्थलों का निर्धारण जनपद स्तर पर किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे डेटा फीडिंग एवं मतदाता सूचियों के प्रिन्ट कराने तथा

फोटोकॉपी आदि का कार्य जनपद स्तर पर निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दरों पर किया जाएगा।

आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार तैयार की गई पंचायत निर्वाचक नामावलियों की फोटोकॉपियाँ कराए जाने के लिए पृष्ठ के एक तरफ तथा दोनों तरफ की निर्धारित दरों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् अनन्तिम निर्वाचक नामावलियों की 05–05 प्रतियाँ प्रति ग्राम पंचायतवार तैयार की जाएंगी। यह कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराया जाना अनिवार्य है। कम्प्यूटरीकृत अनन्तिम निर्वाचक नामावली तैयार कराने में यह सावधानी रखी जाए कि जहाँ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) बदल रहा हो वह अलग पृष्ठ से प्रारम्भ हो, एक मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली के पृष्ठों में वार्ड संख्या देते हुए एक ही क्रम में तैयार हो तथा एक ग्राम पंचायत में यदि एक से अधिक मतदान स्थल हों तो मतदान स्थलवार तथा वार्डवार कम्प्यूटरीकृत सूची तैयार हो। तात्पर्य यह है कि यदि एक मतदान स्थल की कम्प्यूटरीकृत निर्वाचक नामावली तैयार कराने में अंतिम पृष्ठ पर कुछ स्थान रिक्त रह जाए तो उस ग्राम पंचायत के दूसरे मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली नए पृष्ठ से कम्प्यूटरीकृत कराई जाए। इसके साथ–साथ यदि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) या मतदान स्थल बदल रहा हो तो भी निर्वाचक नामावली नए पृष्ठ से प्रारम्भ की जाएगी, किन्तु निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों का क्रमाँक प्रत्येक ग्राम पंचायत में आदि से लेकर अन्त तक एक ही क्रम में क्रमबद्ध किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि यदि किसी ग्राम पंचायत में 2000 निर्वाचक हैं तो प्रथम निर्वाचक का क्रमाँक–1 होगा और अन्तिम निर्वाचक का क्रमाँक–2000 होगा और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) अथवा मतदान स्थल बदलने की स्थिति में क्रमाँक किसी भी दशा में उक्त ग्राम पंचायत के लिए नये सिरे से प्रारम्भ नहीं किया जाएगा।

## अध्याय–7

## अनन्तिम निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन

निर्धारित अवधि में निर्वाचक नामावलियों की प्रतियाँ कम्प्यूटरीकृत कराने के पश्चात् उ0प्र0 पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 में निर्धारित प्रपत्र–1 पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से नोटिस प्रदर्शित करके निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन किया जाएगा और नामावली की एक–एक प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकास खण्ड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय (यथा ग्राम पंचायत का पंचायत घर, विद्यालय भवन, साधन सहकारी समिति का भवन या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा अन्य कोई सार्वजनिक भवन जो इस निमित्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का कार्यालय घोषित किया गया हो), में निर्धारित अवधि तक निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी तथा निरीक्षण कराने का कार्य किसी भी ग्राम स्तरीय कार्मिक (जूनियर बेसिक स्कूल के अध्यापक/प्रधानाध्यापक या राजकीय कर्मचारी) को विशेष आदेश के जरिए सौंपा जा सकता है। इसके साथ डुग्गी पिटवाकर या ध्वनि विस्तारक यन्त्र अथवा किसी स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर तथा अन्य किसी सुविधाजनक रीति से इस तथ्य को प्रचारित किया जाएगा कि पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशित हो गया है और प्रकाशन के दिनाँक से 3 दिन तक निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। निर्वाचक नामावली के निरीक्षण हेतु निर्धारित अवधि के मध्य सुविधानुसार यथासम्भव प्रत्येक ग्राम सभा की खुली बैठक भी बुलाई जाए तथा बैठक में निर्वाचक नामावली जनसामान्य के सम्मुख निरीक्षणार्थ रखी जाए और जनसामान्य से प्राप्त सुझाव नियमानुसार होने पर विचार कर लिया जाए। इन बैठकों में प्राप्त सुझावों को खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में उनके विनिश्चय के लिए उपलब्ध कराया जाए। आलेख्य निर्वाचक नामावली आयोग द्वारा निर्धारित रू0 1 प्रति पृष्ठ की दर पर विक्रय हेतु भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति भुगतान कर आलेख्य निर्वाचक नामावली को क्रय कर सके।

## अध्याय–8

## दावा एवं आपत्ति दाखिल करना

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनन्तिम निर्वाचक नामावलियों के आलेख का प्रपत्र–1 में प्रकाशन कराया जाएगा। निरीक्षण की अवधि प्रारम्भ होने के साथ ही आपत्तियाँ दाखिल करने का कार्य आरम्भ हो जाएगा जो निर्धारित अवधि के अन्तर्गत चलता रहेगा। जन साधारण की सुविधा के लिए जिन कर्मचारी को सूचियों के निरीक्षण कराने का कार्य सौंपा जाए, उन्हें निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त करने का दायित्व भी सौंपा जाए। इस प्रकार निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने का दावा प्रपत्र–2 में प्रस्तुत किया जाएगा तथा किसी प्रविष्टि के विवरण के सम्बन्ध में आपत्ति/संशोधन हेतु प्रपत्र–3 में प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचक नामावली में दर्ज किसी नाम पर विभिन्न कारणों के आधार पर आपत्तियाँ निर्धारित प्रपत्र–4 में प्राप्त की जाएंगी। दावों और आपत्तियों के प्राप्ति स्वरूप एक रसीद निर्धारित प्ररूप–6 में जारी की जाएगी। उक्त रसीद दोहरी प्रति में होगी। दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के हेतु अधिकृत कार्मिक द्वारा आपत्तिकर्ता को उसी रसीद की एक प्रति दी जाएगी, जिस पर सुनवाई का दिनाँक, समय एवं स्थान सूचित किया जाएगा तथा दूसरी प्रति दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने वाले कार्मिक के पास रहेगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित होने पर आपत्ति प्रपत्र–4 में की गयी हो तो वह दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। उसकी एक प्रति प्रपत्र–6 में दिये गये प्ररूप पर नोटिस के साथ सुनवाई का दिनाँक, समय व स्थान निर्धारित करते हुए उन व्यक्तियों को, जिनके नाम निर्वाचक नामावली में होने पर आपत्ति की गयी है, को व्यक्तिगत रूप से तामील की जाएगी और व्यक्तिगत रूप से तामील न हो सकने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम ज्ञात पते पर उसकी एक प्रति चस्पा कर तामील की जाएगी। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नाम विलोपित करने की कार्यवाही को छोड़कर जिन मामलों में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावों से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट है, उन्हें सुनवाई का दिनाँक सूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार दावे एवं आपत्तियों सम्बन्धी प्रपत्रों और रसीद के प्ररूप अपेक्षित संख्या में मुद्रित कराकर सम्बन्धित कार्मिक को समय से उपलब्ध कराना होगा। सम्बन्धित कार्मिक द्वारा दावे एवं आपत्तियों का विवरण प्रपत्र–5 में तैयार किया जाएगा। पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि ऐसे प्ररूप पर प्राप्त विवरण पत्र, दावे एवं आपत्तियों के मूल अभिलेखों सहित प्रति दूसरे दिन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराता रहे। दावे एवं आपत्तियाँ सीधे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकेंगी। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह उपर्युक्त प्राप्त समस्त दावे एवं आपत्तियों की सूची भी प्रपत्र–5 में तैयार कराएगा। इन प्रतियों की एक सूची वह अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित करेगा।

## अध्याय–9

## दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण

यह स्पष्ट किया जाता है कि विहित अवधि के भीतर विहित प्रपत्र में विहित रीति से यदि कोई दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी जाएंगी। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिन मामलों में दावे एवं आपत्तियों की ग्राह्यता से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट न हो तो ऐसे दावेदार/आपत्तिकर्ता को उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के नियम–15 के अनुसार प्रपत्र–6 में दिये गए प्ररूप पर नोटिस तामील की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने पर आपत्ति की गई हो तो नोटिस की एक प्रति उस व्यक्ति को भी तामील की जाएगी जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई है। दावे एवं आपत्तियों के साथ दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे जिस पर वह निर्भर करता हो। सुनवाई के समय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावेदार/आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित किया जाएगा अथवा ऐसी अन्य संक्षिप्त जाँच की जाएगी जो आवश्यक हो। तत्पश्चात् वह अपना विनिश्चय देगा और अपने विनिश्चय से सम्बन्धित आदेश की एक प्रति दावेदार/आपत्तिकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। यदि आपत्तिकर्ता की शिकायत सही पाई जाए और किसी निर्वाचक का नाम सम्बन्धित नामावली से हटाने का विनिश्चय अभिलिखित हो जाए तो तत्सम्बन्धी सूचना **(संलग्नक–20)** ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम नामावली से हटाया जा रहा है, को व्यक्तिगत रूप से तामील कराई जाएगी और व्यक्तिगत रूप से तामील न हो सकने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम ज्ञात पते पर उसकी एक प्रति चस्पा कर तामील की जाएगी और निर्धारित प्ररूप **(संलग्नक–20)** की नोटिस की एक प्रति सम्बन्धित कार्मिक के पास रहेगी

डेटा फीडिंग हेतु बी0एल0ओ0 द्वारा गणना कार्य पूर्ण किए जाने के उपरान्त तीन प्रतियों में पाण्डुलिपि (परिवर्धन/विलोपन/संशोधन की अलग–अलग) तैयार की जाएगी तथा उसकी एक प्रति कम्प्यूटरीकरण हेतु फर्म को उपलब्ध कराना होगा तथा डेटा फीडिंग के उपरान्त उनकी प्रूफ रीडिंग हेतु प्राप्त प्रिन्टआउट की बी0एल0ओ0 द्वारा जाँच की जाएगी तथा डेटा शुद्ध कराया जाएगा।

निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाताओं की सुविधा हेतु आयोग की वेबसाइट के माध्यम से वेब रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की गई है जिसका व्यापक प्रचार–प्रसार जनसामान्य की जानकारी हेतु जनपद स्तर पर कराया जाना है। वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होने वाली सभी प्रविष्टियों के प्रिंटआउट सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सीधे कम्प्यूटर से प्राप्त कर बी0एल0ओ0 को जाँच हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे तथा जाँचोपरान्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे आवेदनों की अलग से प्रविष्टि नहीं कराई जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के मिलान के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक व्यक्ति जनपद में एक से अधिक जगहों पर (पंचायत निर्वाचक नामावली एवं नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली) शिफ्ट हो जाने के कारण पंजीकृत है और यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ऐसी दशा में किस आधार पर किस निर्वाचक नामावली में उसे मतदाता माना जाए।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 9(6) तथा धारा 9(7) में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है। धारा 9(6) में यह उल्लिखित है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा। धारा 9(7) में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी या छावनी से संबंधित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह व्यक्ति यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

उपर्युक्त उल्लिखित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जहाँ तक पंचायत अथवा नगरीय निकाय चुनाव का सम्बन्ध है सिर्फ एक ही निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार है और यदि उसका नाम एक से अधिक निर्वाचक नामावलियों में दर्ज है तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 9(3) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी जिसमें निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है :–

Subject to the provisions of sub section (4), (5), (6) and (7) every person who has attained the age of 18 years of the first day of January of the year in which the electoral roll is prepared are revised and who is ordinarily resident in the territorial constituency of a Gram Panchayat shall be entitled to be registered in the electoral roll for that territorial constituency.

Explanation-

(i) A person shall be deemed to be ordinarily resident in the territorial constituency on the ground only that he owns or is in possession of, a dwelling house therein,

(ii) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein,

(iii) A Member of Parliament or of the Legislature of the State shall not, during the term of his office, cease to be ordinarily resident in the territorial constituency merely by reason of his absence from that area in connection with his duties as such Member,

(iv) Any other factor that may be prescribed shall be taken into consideration for deciding as to what persons may or may not be deemed to be ordinarily residents of a particular area at any relevant time,

(v) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the question shall be determined with reference to all the facts of the case.

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक से ज्यादा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में निर्वाचक के रूप में दर्ज है तो उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में वैध माना जाएगा, जहाँ वह सामान्य रूप से निवास कर रहा है।

## अध्याय–10

# अन्तिम पूरक सूचियों की तैयारी और कम्प्यूटरीकरण

दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् पूरक सूचियाँ निम्नांकित तीन शीर्षकों में वर्गीकृत करके तैयार की जाएंगी। यह कार्य सम्बन्धित क्षेत्रों के बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों द्वारा सुन्दर व स्वच्छ हस्तलिपि में तैयार कराया जाएगा तत्पश्चात् उनकी कम्प्यूटर में डाटा इन्ट्री कराई जाएगी। उनका एक–एक प्रिन्ट लेकर सम्बन्धित बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों से उनकी प्रूफ रीडिंग कराई जाए। इसके उपरान्त प्रूफ रीडिंग में पाई गई त्रुटियों को शुद्ध कराकर कम्प्यूटर में भी प्रविष्टियों को संशोधित करा लिया जाए।

1– **परिवर्धन सूची** – परिवर्धन सूची से तात्पर्य यह है कि निर्वाचक नामावली में छूटे हुए अर्ह व्यक्तियों के नाम को सम्मिलित किए जाने की सूची **(संलग्नक–16)**

2– **संशोधन सूची** – संशोधन सूची से तात्पर्य यह है कि निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों की प्रविष्टि में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो तो उनकी सूची **(संलग्नक–17)**

3– **विलोपन सूची** – विलोपन सूची का तात्पर्य यह है कि निर्वाचक नामावली से यदि कुछ व्यक्तियों के नाम विलोपित कर दिए गए हों तो उनकी सूची **(संलग्नक–18)**

ऐसी सूचियों का अन्तिम प्रिन्ट लेकर उनके प्रत्येक पृष्ठ पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मुहर लगाकर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह सूचियाँ निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूचियाँ होंगी और इन्हें अन्तिम रूप से कम्प्यूटर में अनन्तिम मूल निर्वाचक नामावलियों में यथा स्थान समाहित करा दिया जाएगा। उसके उपरान्त उनसे इन नामावलियों की 30–30 फोटो स्टेट प्रतियाँ तैयार कराई जाएंगी।

## अध्याय–11

## निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन

निर्धारित अवधि में निर्वाचक नामावली को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रपत्र–7 में दिये गए प्ररूप पर सूचना प्रदर्शित करके अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा जिसकी सूचना विकास खण्ड कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय तथा ग्राम पंचायत के निर्दिष्ट कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

## अध्याय–12

# अपील

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से क्षुब्ध व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) से अपील कर सकता है। ऐसी अपील निर्धारित प्ररूप **(संलग्नक–21)** में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ निर्धारित अवधि 03 दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा तत्काल उसकी सुनवाई का दिनाँक निर्धारित किया जाएगा। सुनवाई का दिनाँक व स्थान निर्धारित प्ररूप **(संलग्नक–22)** पर अवगत कराया जाएगा। अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा कि उक्त अधिकारी ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा। यदि अपील मान्य की गई हो तो वह निर्धारित प्ररूप **(संलग्नक–23)** पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आदेश देगा कि वह निर्वाचक नामावली में उसके विनिश्चय के अनुसार आवश्यक संशोधन करें। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अपील में जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के निर्देशों के अनुसार संशोधन किया जाएगा और अपील के लम्बित होने के कारण निर्वाचक नामावली का प्रकाशन बाधित न होगा। अपीलों के निस्तारण के बाद यदि आवश्यक हुआ तो पूरक सूचियाँ तैयार कराकर उपर्युक्त अन्तिम निर्वाचक नामावलियों के साथ संलग्न करा दी जाएंगी।

## अध्याय–13

# निर्वाचक नामावली की अभिरक्षा और परिरक्षण

इस प्रकार उपर्युक्तानुसार तैयार की गई निर्वाचक नामावली तथा प्राप्त आवेदन पत्रों और अभिलिखित विनिश्चयों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा विकासखण्ड कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। किसी ग्राम पंचायत की नामावली तब तक सुरक्षित रखी जाएगी जब तक कि अगले पुनरीक्षण के पश्चात् नई नामावली तैयार न हो जाए। ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित नामावली की एक सम्पूर्ण प्रति उस सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में भी रखी जाएगी जिससे ऐसी नामावली सम्बन्धित हो।

प्रत्येक व्यक्ति को रूपया एक प्रति पृष्ठ की फीस का भुगतान करने पर उपर्युक्तानुसार तैयार की गई निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के निर्देश पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

सुलभ संदर्भ हेतु उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 तथा यह निर्देश आयोग की Website : sec.up.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

## अध्याय–14

# ई–बी0एल0ओ0 मोबाईल ऐप (E-BLO Mobile App)

पंचायत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु पूर्व के बी0एल0ओ0 ऐप के स्थान पर आयोग द्वारा नया बी0एल0ओ0 ऐप विकसित किया जा रहा है। ई–बी0एल0ओ0 मोबाईल ऐप के माध्यम से बी0एल0ओ0 द्वारा ऑनलाइन भी पुनरीक्षण का कार्य प्रयोग में लाया जाएगा।

इस प्रकार पंचायत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य बी0एल0ओ0 द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन (Hybrid Mode) में किया जाएगा।

बी0एल0ओ0 द्वारा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कार्य करने की समीक्षा की जाएगी एवं उन्हें देय अतिरिक्त मानदेय भी इसी आधार पर वितरित कराया जाएगा।

इस हेतु विकसित किए जा रहे ऐप के प्रयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को पृथक से प्रेषित किए जाएंगे।

**संलग्नक–1**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

# उ0प्र0 पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947) की धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश गांव सभा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आज्ञा, 1978 का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–**

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 कही जाएगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषाएं :–** जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है,

(ख) ''सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'' का तात्पर्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में एक या अधिक पंचायत क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यक्ति से है,

(ग) ''निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'' का तात्पर्य नियम 3 के अधीन इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से है,

(घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र से है,

(ङ) ''नामावली'' का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली से है।

**3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी :–**

(1) प्रत्येक जिले में हर एक नामावली, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो राज्य सरकार का वह अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित (Designate) या नाम निर्दिष्ट करें।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे।

**4. नामावली का प्रारूप और भाषा :–**

नामावली देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जाएगी।

**5. नामावलियों का तैयार किया जाना :–**

(1) प्रथम नामावली इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जाएगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है, जहाँ तक इसका सम्बन्ध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से है।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

**6. निवास गृहों के अध्यासियों द्वारा सूचना देना :–**

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली तैयार या पुनरीक्षित करने के लिए किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के किसी निवास गृह के किसी अध्यासी से आवश्यक सूचना माँग सकेगा और इस पर प्रत्येक ऐसा अध्यासी अपनी क्षमता की सीमा के अनुसार सूचना देगा।

**7. कतिपय रजिस्टरों तक पहुँच :–**

नामावली तैयार या पुनरीक्षित करने के लिए या नामावली के सम्बन्ध में किसी दावे या आपत्ति का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियोजित किसी व्यक्ति की पहुँच किसी जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों तक और किसी शिक्षण संस्था के प्रवेश रजिस्टर तक होगी और ऐसे रजिस्टर के प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अधिकारी या व्यक्ति को ऐसी सूचना और उक्त रजिस्टर से ऐसे उद्धरण दे जिसकी वह अपेक्षा करे।

**8. नामावली के आलेख्य का प्रकाशन :–**

(1) जैसे ही किसी ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों की नामावली तैयार हो जाए उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा जाएगा जो उनके आलेख्य को खण्ड विकास कार्यालय में उनकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराके और प्रपत्र–1 में नोटिस प्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डुग्गी पिटवाकर या किसी ध्वनि प्रवर्धक द्वारा या किसी अन्य सुविधाजनक रीति से इस तथ्य को प्रसारित करवायेगा कि पंचायत क्षेत्र में नामावली प्रकाशित हो गयी है और उपनियम (1) में उल्लिखित कार्यालय पर कार्यालय समय के दौरान उसका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रति, प्रकाशन के दिनाँक से 3 दिन की अवधि के लिए कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जाएगी।

**9. ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए दावे :–**

कोई व्यक्ति –

(क) जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु वह उसमें रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अर्ह है, या

(ख) जिसका नाम गलती से ग्राम पंचायत के किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या

(ग) जिसका नाम नामावली में से किसी अनर्हता के कारण काट दिया गया था किन्तु जो यह दावा करता है कि उसकी अनर्हता अब दूर हो गयी है, नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रपत्र–2 में आवेदन कर सकता है।

**10. नामावली में प्रविष्टयों पर आपत्तियाँ :–**

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में प्रविष्ट है, और जिसे –

(क) अपने से सम्बन्धित ऐसी प्रविष्टि के किसी विवरण पर आपत्ति है और उसे ठीक कराना चाहता है, वह प्रपत्र 3 में,

(ख) नामावली में किसी अन्य व्यक्ति के नाम को सम्मिलित किये जाने पर, इस आधार पर आपत्ति है कि वह व्यक्ति ऐसी नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्ह नहीं है या निरर्हित हो गया है, यह प्रपत्र 4 में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यथास्थिति, विवरण ठीक करने के लिए या नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकता है।

**11. दावा और आपत्ति करने के लिए अवधि :–**

नियम 9 या नियम 10 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन नियम 8 के अधीन प्रारूप में आलेख्य नामावली के प्रकाशन के दिनाँक से 7 दिन के भीतर दिया जाएगा।

**12. दावा और आपत्ति सम्बन्धी विवरण :–**

(1) नियम 9 या नियम 10 के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा भी सत्यापित किया जाएगा जिसका नाम पहले से ही नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसके सम्बन्ध में आवेदन दिया गया है और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) आवेदन में वे आधार, जिन पर प्रविष्टि को, यथास्थिति सम्मिलित करने, सुधारने या निकालने की माँग की गयी है और ऐसी प्रविष्टि के अपेक्षित पूर्ण विवरण भी सुसंगत प्रपत्र में दिये जाएंगे।

(3) प्रपत्र 4 में आवेदन दो प्रतियों में होगा, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिसके नाम को निकालने की माँग की गयी है।

**13. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रक्रिया :–**

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रपत्र 5 में, दो प्रतियों में सूची रखेगा, जिसमें वह नियम 9 और 10 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र, जैसे ही वह नियम 12 के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किया जाये प्रविष्टि करेगा और अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित करेगा।

**14. कतिपय दावों और आपत्तियों का अस्वीकृत किया जाना :–**

नियम 9 व नियम 10 के अधीन कोई आवेदन पत्र जो इस नियमावली में विहित अवधि के भीतर या विहित प्रपत्र में या रीति से दाखिल न किया गया हो, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**15. नोटिस और उसकी तामीली :–**

(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति की ग्राह्यता से प्रथम दृष्ट्या सन्तुष्ट हो, नियम 9 या नियम 10 के अधीन प्रत्येक आवेदक या आवेदन प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र 6 में एक नोटिस तामील की जाएगी, जिसमें वह स्थान और समय विनिर्दिष्ट होगा, जहाँ और जब आवेदन पत्र की सुनवाई की जाएगी और उसे या उसके अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थित होने का निदेश दिया जाएगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति भी दी जाएगी।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन जारी की गयी नोटिस व्यक्तिगत रूप में तामील की जाएगी और व्यक्तिगत रूप से तामील न हो सकने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम ज्ञात पते पर उसकी एक प्रति चस्पा कर तामील की जाएगी।

तामील करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ऐसी तामील के तथ्य निश्चायक प्रमाण समझा जायगा।

**16. दावे और आपत्तियों की जाँच :—**

(1) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे सभी आवेदन पत्रों की, जिसके सम्बन्ध में नियम 15 के अधीन नोटिस दी गयी है, संक्षिप्त जाँच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा।

(2) सुनवाई में वह व्यक्ति, जिसे नोटिस तामील की गई थी, और कोई अन्य व्यक्ति जो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विवेकानुसार :—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसे ऐसी नोटिस जारी की गयी है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा,

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य शपथ पर दिया जाए और इस प्रयोजन के लिए शपथ दिला सकेगा।

**17. असावधानी के कारण छूटे हुए नामों को सम्मिलित करना :—**

यदि नियम 19 के अधीन नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व, यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रतीत हो कि असावधानी के कारण किसी निर्वाचक का नाम नामावली में अंकित होने से रह गया हो तो वह ऐसे नाम को नामावली में सम्मिलित कर सकता है।

**18. मृत निर्वाचकों और उन व्यक्तियों के जो मामूली तौर से निवासी नहीं रह गए हैं या नहीं हैं, नामों का निकाला जाना :—**

यदि नामावली तैयार करने के दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रतीत हो कि असावधानी या त्रुटि या अन्यथा किसी कारण से मृत व्यक्तियों या उन व्यक्तियों के नाम, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गए हैं या नहीं हैं, नामावली में सम्मिलित कर लिये गए हैं और इस नियम के अधीन उपचारक कार्यवाही की जानी चाहिए तो वह —

(क) ऐसे व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरणों की एक सूची तैयार करेगा,

(ख) अपने कार्यालय के सूचना पटट् पर, उस समय और स्थान की सूचना के साथ, जहाँ नामावली से ऐसे नामों को निकाले जाने पर विचार किया जाएगा, सूची की एक प्रति प्रदर्शित करेगा, और सूची और सूचना को ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित भी करेगा जिसे वह उचित समझे, और

(ग) किन्हीं मौखिक और लिखित आपत्तियों पर जो प्रस्तुत किये जाएं विचार करने के पश्चात् विनिश्चय करेगा कि उन नामों में से सभी या कुछ नामों को नामावली से निकाल दिया जाना चाहिए,

परन्तु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में इस आधार पर, कि वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या नहीं है, कोई कार्यवाही करने से पूर्व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस व्यक्ति को कारण

बताने का युक्तियुक्त अवसर देने का प्रत्येक प्रयास करेगा कि उसके सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाए।

**19. नामावली का अन्तिम प्रकाशन :–**

(1) तत्पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियम 15, 16, 17 और 18 के अधीन संशोधनों की सूची के साथ नामावली की एक प्रति तैयार करेगा और निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखेगा और अपने कार्यालय में प्रपत्र 7 में सूचना प्रदर्शित करके नामावली प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर संशोधनों की सूची के साथ पठित नामावली प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी।

(3) जहाँ नामावली (जिसे इस उपनियम में आगे मूल नामावली कहा गया है) उपनियम (2) के अधीन संशोधनों की सूची के साथ पठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली हो जाती है वहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों के अधीन रहते हुए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सुविधा के लिए संशोधन सूची की प्रविष्टियाँ और उनके विवरण के अनुसार मूल नामावली के सुसंगत भागों में प्रविष्टियों को यथास्थिति सम्मिलित, संशोधित या निष्कासित करके मूल नियमावली में ही संशोधन सूची की प्रविष्टियों को समाविष्ट कर सकता है, किन्तु ऐसा करने के दौरान संशोधन सूची में आये हुए निर्वाचक के नाम, विवरण में कोई हेर–फेर नहीं किया जाएगा।

**20. त्रुटियों को शुद्ध करना :–**

राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि को शुद्ध करने या निर्वाचक नामावली में दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार प्रविष्टियों को सुधारा या निकाला जाएगा।

**21. नामावलियों का पुनरीक्षण :–**

(1) किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (9) के अधीन या तो विस्तृत रूप से या सरसरी तौर पर या अंशतः विस्तृत रूप से और अंशतः सरसरी तौर पर, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दें, पुनरीक्षित की जाएगी।

(2) जहाँ किसी वर्ष में नामावली का विस्तृत रूप से पुनरीक्षण किया जाना हों, वहाँ वह नये सिरे से तैयार की जाएगी और नियम 3 से 20 तक ऐसे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(3) जब किसी वर्ष में नामावली को सरसरी तौर पर पुनरीक्षित किया जाना हो तब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार करायेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली का आलेख्य प्रकाशित करेगा और नियम 7 से 20 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) जहाँ किसी समय उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के आलेख्य के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के और उपर्युक्त उपनियम (2) या उपनियम (3) के साथ पठित नियम 19 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय, तत्समय प्रवृत्त नामावली में अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाए, वहाँ निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन नामों को पुनरीक्षित नामावली में सम्मिलित करवाएगा जब तक कि उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने पर कोई विधिमान्य आपत्ति न हो।

**21– क. दावा और आपत्तियों पर विनिश्चिय के आदेशों के विरूद्ध अपील :–**

(1) नियम 16, 18 या 21 के अधीन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि अपील उस स्थिति में नहीं होगी जहाँ अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर जो अपील की विषय–वस्तु है, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकार का लाभ नहीं उठाया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील :–

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,

(ख) विनिश्चय के दिनाँक से तीन दिन की अवधि के भीतर अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी,

(ग) जिस आज्ञा के विरूद्ध अपील की गई है, उसकी प्रति और एक रूपये के शुल्क के साथ होगी जो –

(एक) न्यायिकेत्तर स्टाम्प के रूप में, या

(दो) राज्य सरकार के नाम में किसी सरकारी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करके और ज्ञापन के साथ उसकी रसीद संलग्न करके, या

(तीन) ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

(3) इस नियम के अधीन अपील प्रस्तुत करने मात्र का यह प्रभाव न होगा कि नियम 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कोई कार्यवाही रोक दी जाए या स्थगित कर दी जाए।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु यदि वह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय को प्रतिवर्तित या संशोधित करता है, वहाँ वह अपील मे ंविनिश्चय के दिनाँक से ही प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियम के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन कराएगा जो इस पैरा के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चयों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

**22. राज्य निर्वाचन आयोग का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण :–**

(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन रहते हुए, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नियम 3 के अधीन नियोजित अन्य व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

**23. नामावलियों आदि की अभिरक्षा और परिरक्षण :–**

(1) इस नियमावली के अधीन समस्त आवेदन पत्र और उन पर अभिलिखित विनिश्चय को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा

विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गई नामावली के प्रभावी होने तक, जो भी पहले हो, रखा जाएगा।

(2) ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित नामावली की एक सम्पूर्ण प्रति उस सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में रखी जाएगी जिससे ऐसी नामावली सम्बन्धित हो। यह प्रति समय–समय पर नामावली में किये गए संशोधन के अनुसार संशोधित की जाएगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी फीस के भुगतान पर, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए उपनियम (1) एवं (2) मे निर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों के निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(4) नामावली की मुद्रित प्रतियाँ ऐसे मूल्य पर जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जनता को उस समय तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जब तक कि अगली नामावली का प्रकाशन न हो जाए।

(5) किसी ग्राम पंचायत की नामावली का प्रकाशन होने पर नई नामावली के प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के अभिलेखों के साथ उतने वर्ष तक, जब तक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रखी जाएगी।

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## प्रपत्र–1

## (नियम 8 देखिए)

## कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

**तहसील .............................................. जनपद ...............................................**

## निर्वाचक नामावली के आलेख्य के प्रकाशन की सूचना

तहसील ........................................................ विकास खण्ड ..................................................................... की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकगण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार हो गई है और उसकी एक प्रति मेरे कार्यालय और खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उक्त निर्वाचक नामावली का कार्यालय समय में निरीक्षण कर सकता है।

यदि नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिये कोई दावा अथवा किसी प्रकार के अन्य विवरणों के सम्बन्ध में कोई संशोधन अपेक्षित हो अथवा सम्मिलित किसी नाम के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो उसे दिनाँक ................................ को या उससे पूर्व प्रपत्र–2, 3 या 4 में, जो भी उपयुक्त हो, दाखिल किया जाए।

प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति मेरे कार्यालय या खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में उपर्युक्त दिनाँक तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिनाँक :...............

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद...........................................

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0।

## प्रपत्र–2

## (नियम–9 और 12 देखिये)

### नाम सम्मिलित किये जाने के लिये दावा/आवेदन–पत्र

सेवा में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

तहसील .................................................................... विकास खण्ड ..........................................................

जनपद .....................................

महोदय,

मै, प्रार्थना करता हूँ/करती हूँ कि मेरा नाम ................................................................................ ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ................... के भाग संख्या ................... से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए।

मेरा पूरा नाम .................................................................

मेरे पिता/माता/पति का नाम .....................................................................

मेरे निवास स्थान आदि का विवरण .............................................................

मकान संख्या .................................. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 ................... ग्राम पंचायत ...........................

खण्ड/तहसील................................................................. जनपद ...........................................

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि :–

(1) मैं भारत का नागरिक हूँ,

(2) मेरा नाम उपर्युक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचन क्षेत्र संख्या ........................... में क्रम संख्या ........................... पर सम्मिलित है,

(3) मेरी आयु गत पहली जनवरी को ...................... वर्ष ..................... मास थी,

(4) मैं ऊपर दिए गए पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ,

(5) मैंने इस ग्राम पंचायत या किसी अन्य ग्राम पंचायत या किसी नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की निर्वाचक नामावली के किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिये आवेदन नहीं किया है,

(6) मेरा नाम इस या किसी अन्य ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली या किसी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है,

या

मेरा नाम दूसरी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में अर्थात ..................... क्रम संख्या ............... पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....................... की संख्या ........................... पर त्रुटिवश सम्मिलित हो गया है, जिसे निकाल देना चाहिये,

(7) मूलतः इस ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षे0सं0 ................ की नामावली में भाग संख्या ......... में क्रम संख्या ................... पर सम्मिलित मेरा नाम अनर्हता अर्थात् .................... के कारण काट दिया गया था और ऐसी अनर्हता ..........................................के आदेश दिनाँक .............................. द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

मैं सत्यापित करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में लिखित बात मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ सही है।

स्थान :..............................................................................

दिनाँक :.................................... दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनाएं दावेदार से अपेक्षित हैं :–

1. मोबाइल नं0...................................................... 2. आधार कार्ड नं0..........................................................

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

## दावेदार के पक्ष का समर्थन करने वाले ग्राम पंचायत के अन्य निर्वाचक द्वारा सत्यापन प्रमाण–पत्र

मैं, ........................................................... ग्राम पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ................. की निर्वाचक नामावली जिसमें दावेदार ने सम्मिलित होने के लिए आवेदन किया है, में सम्मिलित निर्वाचक हूँ अर्थात् क्रम संख्या ...........................पर ग्राम पंचायत पर सम्मिलित हूँ।

मैं, सत्यापित करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में लिखित बातें मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर.............

पूरा नाम...........................................

**<u>कार्यालय के उपयोग हेतु</u>**

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

✂..........................................................................................................................✂

**<u>कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी</u>**

**तहसील..............................................जनपद.............................................**

**<u>निर्वाचक नामावली में परिवर्धन/संशोधन/अन्यत्र रखे जाने हेतु प्रस्तुत दावा या आपत्ति की रसीद</u>**

श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................................... जो ग्राम पंचायत ............................विकास खण्ड .................................................... तहसील ..................................................... का/की निवासी है, से ग्राम पंचायत ........................................... के वार्ड संख्या ............ की निर्वाचक नामावली में क्रमाँक .............. पर, का नाम सम्मिलित किए जाने/संशोधन करने/अन्यत्र रखे जाने हेतु आवेदन किया गया है।

स्थान ...........................

दिनाँक ...........................

दावा/आपत्ति प्राप्त करने के लिए<br>
अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर<br>
आज्ञा से<br>
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

### प्रपत्र–3
### (नियम–10(क) और 12 देखिए)
### किसी प्रविष्टि के विवरण में संशोधन हेतु आवेदन–पत्र

सेवा में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
तहसील ................................................................ विकास खण्ड ................................................................
जनपद ...................................................................

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे सम्बन्धित प्रविष्टि जो निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या ............... पर निम्नानुसार दर्ज है

........................................................''

उक्त प्रविष्टि इस रूप में हैं, शुद्ध नही है । इसे निम्नानुसार शुद्ध किया जाय :–

..................................................................
..................................................................
..................................................................

मैं, सत्यापित करता हूँ कि इस आवेदन–पत्र में लिखित विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान :........................................ ......................................
दिनाँक :...................................... निर्वाचक के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान

मैं, उस ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ......................... की निर्वाचक नामावली में, जिसमें कि आवेदक का नाम दर्ज है, सम्मिलित निर्वाचक हूँ। मेरा नाम उक्त नामावली में क्रमाँक .......... पर अंकित है। मैं, सत्यापित करता हूँ कि इस आवेदन–पत्र में लिखित बात मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान..........................................

पूरा नाम..............................................

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनाएं निर्वाचक से अपेक्षित हैं :–

1. मोबाइल नं0 ....................................................... 2. आधार कार्ड नं0.......................................................

........................................................
निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

कार्यालय के उपयोगार्थ

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

---

### कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
### तहसील.......................जनपद..............
### निर्वाचक नामावली में परिवर्धन/संशोधन/अन्यत्र रखे जाने हेतु प्रस्तुत दावा या आपत्ति की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी ................................................................ जो ग्राम पंचायत .............................. विकास खण्ड ..................................... तहसील ...................................... का/की निवासी है, से ग्राम पंचायत ................ के वार्ड संख्या ............ की निर्वाचक नामावली में क्रमाँक ............. पर, का नाम सम्मिलित किए जाने/संशोधन करने/अन्यत्र रखे जाने हेतु आवेदन किया गया है।

स्थान :.........................
दिनाँक :..........................

दावा/आपत्ति प्राप्त करने के लिए
अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर
आज्ञा से
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

# राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## प्रपत्र–4
## (नियम–10(ख) और 12 देखिए)

### सम्मिलित नाम पर आपत्ति

सेवा में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
तहसील.................................................. विकास खण्ड.......................................................................
जनपद .........................................................

महोदय,

ग्राम पंचायत ....................................................... में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या ............. की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या ....... पर सम्मिलित ...................... के नाम पर मैं निम्नलिखित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ :–

(1) उक्त व्यक्ति की दिनाँक ................... को अथवा लगभग .......... वर्ष ........... माह के लगभग मृत्यु हो गयी है,
(2) उक्त व्यक्ति इस परिक्षेत्र में ........................से मामूली तौर पर निवासी नही रह गया है,
(3) उक्त व्यक्ति का नाम दूसरी ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत नाम........................के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या ...........की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या ................... पर भी अंकित है,
(4) उक्त व्यक्ति ने सुसंगत दिनाँक को 18 वर्ष की आयु पूरी नही की थी,
(5) उक्त व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है,
(6) उक्त व्यक्ति विकृत चित्त का है, और उसके ऐसा होने की .................... के न्यायालय ............. ............................... से दिनाँक .................. के आदेश द्वारा घोषणा विद्यमान है,
(7) उक्त व्यक्ति ........................ न्यायालय ......................... के आदेश दिनाँक ...................... द्वारा निर्वाचन अपराध के कारण मतदान से अनर्हित किया गया है,
(8) ................................... (कोई अन्य कारण)

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरिलिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

इस ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है :–

पूरा नाम ....................................................................
पिता/पति/माता का नाम ....................................................................
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....................................................................
निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या .......................................................................

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पता ....................................................................

दिनाँक :................... ...........................................................................

# दावेदार के पक्ष का समर्थन करने वाले ग्राम पंचायत के अन्य निर्वाचक द्वारा

## सत्यापन प्रमाण–पत्र

मैं, उपर्युक्त उल्लिखित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है। मेरा नाम उक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या ................... की नामावली में क्रम संख्या ........... पर दर्ज है। मैं सत्यापित करता हूँ कि इस आपत्ति में लिखित विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर............

पूरा नाम .......................................

नामावली में क्रम संख्या..............

## कार्यालय के उपयोगार्थ

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

# राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## प्रपत्र–5
## (नियम–13 देखिए)

## दावा और आपत्तियों की सूची के लिए प्रपत्र

जनपद ..............................................
खण्ड/तहसील ..............................................
ग्राम पंचायत ..............................................

## दावा और आपत्तियों की सूची

| दावा आपत्ति की क्रम संख्या | वार्ड संख्या | निर्वाचक नामावली में क्रमांक | मकान नम्बर | दाखिल करने का दिनाँक | आवेदक का नाम | आवेदन पत्र का प्रकार अर्थात् प्रविष्टि के सम्मिलित करने, शुद्ध करने या निकालने के लिए | विनिश्चय का दिनाँक | परिणाम | अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर

**राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0**

## प्रपत्र–6

## (नियम–15 देखिए)

## कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

**तहसील ...................................................... जनपद.............................**

**नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति/नाम निकाले जाने के लिए आवेदन की रसीद तथा उन पर सुनवाई हेतु सूचना**

सेवा में,

..................................................

..................................................

सूचित किया जाता है कि जनपद..................की तहसील............ विकास खण्ड.....................की ग्राम पंचायत...........................के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............की निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में आपके द्वारा श्री............के नाम की प्रविष्टि को सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति/शुद्ध करने/निकाले जाने के लिए आवेदन–पत्र दिया गया है। आपके आवेदन पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दिनाँक.....................को .................................................. (स्थान) .................. समय सुनवाई की जाएगी।

अतः उपर्युक्त उल्लिखित दिनाँक को निर्धारित समय व स्थान पर ऐसे साक्ष्य के साथ, जिसे आप प्रस्तुत करना चाहें, उपस्थित हों।

दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए
अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर
आज्ञा से
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

सूचना प्राप्त हुई
आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : श्री/श्रीमती/कु0 ........................................................................ निवासी ........................................ .......................................................को सूचनार्थ।

सूचना प्राप्त हुई
आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई।

नामावली में दर्ज निर्वाचक के हस्ताक्षर
(जिसका नाम नामावली में दर्ज करने पर आपत्ति की गई)

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

**तहसील ............................................... जनपद...............................................**

## प्रपत्र–7

## (नियम–19 देखिए)

## निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की सूचना

सर्व साधारण को सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि तहसील ................................... ...................... के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायत के समस्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आलेख्य में संशोधन कर उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार कर ली गई है और उक्त नामावली प्रकाशित कर दी गई है और नामावली की एक प्रति मेरे कार्यालय/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में दिनाँक ............................... से ............................... तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

स्थान .........................

दिनाँक ........................

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पता.................................................

........................................................

**संलग्नक–2**

**राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0**

**<u>ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु सार्वजनिक सूचना</u>**

ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य दिनाँक .................................. से प्रारम्भ हो रहा है जिसके अन्तर्गत घर–घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नए मकानों/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकानों के निर्वाचकों के नामों की जाँच और परिवर्धन का कार्य प्रारम्भ होगा।

प्रदेश के सभी अर्ह भारतीय नागरिक कृपया उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित कर लें। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य रुप से निवास कर रहें हैं, दिनाँक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लिए हों, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो। अनर्हताएं निम्नवत् हैंः–

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(ग) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तद्समय अनर्ह हो।

त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतन्त्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है।

अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं अथवा नहीं, की जाँच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज कराएं और इस हेतु घर पर पहुँचने वाले बी0एल0ओ0 को वाँछित सूचना दिए बिना कदापि वापस न करें। यदि आप के अथवा आप के परिवार के किसी नाम व प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुँचने वाले बी0एल0ओ0 को अवश्य अवगत करा दें।

यदि दिनाँक......................................तक कोई बी0एल0ओ0 आपकी ग्राम पंचायत में न पहुँचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

**संलग्नक–3**

# राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

## जनपद......................

क्रमाँक..................

स्थान............................

दिनाँक...........................

**<u>सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नियुक्ति आदेश</u>**

श्री ...................................................................................................... पदनाम ........................................ को जनपद .....................................की तहसील ........................................................................ के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने तथा सूचियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों और आपत्तियों का निपटारा कर उन्हें संशोधित करते हुए अंतिम रूप देने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्रतिलिपि 1. प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय)................................ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

**संलग्नक–4**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0
## कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
## जनपद.....................

क्रमाँक.................

स्थान.................................

दिनाँक.............................

**समन्वयक अधिकारी का नियुक्ति आदेश**

श्री ................................................................. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ................................................ को जनपद ............................ की विकास खण्ड................................................................. के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने तथा सूचियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों और आपत्तियों का निपटारा कर उन्हें संशोधित करते हुए अंतिम रूप देने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सहायतार्थ समन्वयक अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्रतिलिपि 1. प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ............................... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

3. सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

**संलग्नक–5**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

## जनपद......................

क्रमॉंक.................

स्थान...................

दिनॉंक.................

**सहायक समन्वयक अधिकारी का नियुक्ति आदेश**

श्री.....................................................................सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), विकास खण्ड ..................................................... को जनपद .............................. की विकास खण्ड ................................ के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने तथा सूचियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों और आपत्तियों का निपटारा कर उन्हें संशोधित करते हुए अंतिम रूप देने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/समन्वयक अधिकारी के सहायतार्थ सहायक समन्वयक अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

प्रतिलिपि

1. प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ........................... ............... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

**संलग्नक–6**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

## तहसील.................................जनपद.................

**बी0एल0ओ0 का नियुक्ति आदेश**

फोटो

फोटो प्रमाणित करे

श्री/श्रीमती/कु०...........................................................................

जिनकी आई०डी० संख्या ................................................... है एवं जिनके

हस्ताक्षर का नमूना एवं फोटोग्राफ एतदद्वारा प्रमाणित हैं, को जनपद ....................................

तहसील ......................................... विकास खंड ...........................................................

ग्राम पंचायत .................................................. मतदान केन्द्र (संख्या व नाम)

............................................ के अंतर्गत निम्नलिखित आवंटित मतदान स्थलों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिये बी०एल० ओ० नियुक्त किया जाता है :-

**आवंटित मतदान स्थलों का विवरण**

| मतदान स्थलों की संख्या व नाम |
|---|
| (1) |
| (2) |
| (3) |
| (4) |

बी०एल०ओ० के हस्ताक्षर का नमूना

दिनाँक.........................

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नाम व हस्ताक्षर

संलग्नक–7

**बी0एल0ओ0 का परिचय पत्र।**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०

(पंचायत एवं नगरीय निकाय)

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण-2025

परिचय-पत्र (बूथ लेवेल ऑफिसर)

फोटो

कर्मचारी की आई०डी०.......................नाम.....................................

पदनाम..................................मो० नं०.....................................

जनपद...................................तहसील.....................................

विकास खण्ड............................ग्राम पंचायत................................

आवंटित मतदान केन्द्र संख्या व नाम.................................................

आवंटित मतदान स्थलों की कुल संख्या..............................................

उप जिला मजिस्ट्रेट/
सहा० निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नाम व हस्ताक्षर

हस्ताक्षर(धारक)

**संलग्नक–8**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
## तहसील ....................................... जनपद.......................................

## पर्यवेक्षक का नियुक्ति आदेश

प्रमाणित फोटो

फोटो प्रमाणित करे

श्री / श्रीमती / कु0................................................................................................ जिनकी आई0डी0 संख्या ......................... है एवं जिनके हस्ताक्षर का नमूना एवं फोटोग्राफ एतद्द्वारा प्रमाणित है, को जनपद ........................... तहसील ....................................... न्याय पंचायत ....................................... के अंतर्गत निम्नलिखित मतदान केन्द्रों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है :–

| क्र.सं. | विकास खंड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | मतदान केन्द्र का नाम | स्थलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर का नमूना
दिनाँक..........................

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नाम व हस्ताक्षर

**संलग्नक–9**

# कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

**पर्यवेक्षक का परिचय पत्र।**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०

(पंचायत एवं नगरीय निकाय)

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण-2025

**परिचय-पत्र (पर्यवेक्षक)**

फोटो

कर्मचारी की आई०डी०..............................नाम..............................

पदनाम.........................................मो० नं०..............................

जनपद.........................................तहसील..................................

आवंटित न्याय पंचायत का नाम......................................................

उप जिला मजिस्ट्रेट/
सहा० निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नाम व हस्ताक्षर

हस्ताक्षर(धारक)

संलग्नक—10

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

# पंचायत निर्वाचन-2026 हेतु निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य हेतु बी0एल0ओ/ पर्यवेक्षक लगाये जाने हेतु कर्मचारियों /अधिकारियों का विवरण

*अंकित पंक्तियों को भरना अनिवार्य है :-

1. *कर्मचारी का नाम ------------------------------------------------

2. *पिता/पति का नाम ------------------------------------------------

3. *सम्बन्ध पिता ( ) पति ( )

4. *लिंग महिला ( ) पुरुष ( )

5. *जन्मतिथि

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

6. *मोबाइल नं0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

7. आधार कार्ड

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

8. ई-मेल आई0डी0 ---------------------------------------------------

9. *विकलांग हाँ ( ) नहीं ( )

10. *विभाग/कार्यालय का नाम ------------------------------------------

11. *पदनाम ---------------------------------------------------------

12. *पद की श्रेणी ---------------------------------------------------

13. *वर्तमान आवास का विवरण

    i. जनपद---------------------------------------------------------

    ii. निकाय/पंचायत (यदि पंचायत हो तो III, IV अन्यथा V, VI भरें) -

    iii. ब्लाक का नाम ---------------------------------------------

iv. ग्राम पंचायत का नाम ---------------------------------------------

v. निकाय का नाम---------------------------------------------------

vi. वार्ड का नाम---------------------------------------------------

vii. पिनकोड------------------------------------------------------

14. *विभाग/कार्यालय का पता

i. जनपद----------------------------------------------------------

ii. निकाय/पंचायत (यदि पंचायत हो तो III, IV अन्यथा V, VI भरें) -

iii. ब्लाक का नाम--------------------------------------------------

iv. ग्राम पंचायत का नाम---------------------------------------------

v. निकाय का नाम---------------------------------------------------

vi. वार्ड का नाम---------------------------------------------------

vii. पिनकोड---------------------------------------------------------

ix. कार्यालय का दूरभाष-----------------------------------------------

x. कार्यालय का ई-मेलआई0डी0 ----------------------------------------

15. *बैंक विवरण

i- बैंक का नाम-----------------------------------------------------

ii- खाता संख्या------------------------------------------------------

iii- आई0एफ0एस0सी0कोड-------------------------------------------

कर्मचारी का हस्ताक्षर दिनाँक सहित

**नोट :– उक्त विवरण दिसम्बर, 2026 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा नहीं भरा जाएगा।**

**संलग्नक–11**

# राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## निर्वाचक गणना पत्रक

पुराना मकान ☐ नया मकान ☐

जनपद ........................................विकास खण्ड का नाम.................................................................ग्राम पंचायत............................................................वार्ड क्रमाँक.....................मकान नम्बर .........................

**उपर्युक्त मकान नम्बर में परिवर्धित, संशोधित तथा विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों के नाम और ब्यौरे**

| क्र.सं. | नाम | पिता / माता या पति का नाम | पु0 / म0 | 01 जनवरी 2025 को आयु | वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रमाँक | परिवर्धन / संशोधन / विलोपन | मोबाइल नं0 | आधार कार्ड नं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- परिवर्धन / संशोधन / विलोपन में जिस तरह की प्रविष्टि की जाए उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। यदि प्रचलित सूची में कोई प्रविष्टि त्रुटि पूर्ण है तो उसे शुद्ध करके ही उपर्युक्त तालिका में लिखा जाए।

कृ0पृ0उ0

- वयस्क नागरिकों की कुल संख्या शब्दों में ....................................................

- मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दिए गए ब्यौरे मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं और उपर्युक्त नामों में से किसी का भी नाम नगरीय निकाय की अथवा पंचायत की किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरे परिवार के परिवर्धित/संशोधित/विलोपित सभी वयस्क नागरिकों के ब्यौरे सही हैं/मेरे नये मकान/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकान के सभी वयस्क नागरिकों के नाम दर्ज किए गए हैं।

- आधार नम्बर देना स्वैच्छिक है।

बी0एल0ओ0 के हस्ताक्षर दिनाँक सहित

नाम/पदनाम...........................................

घर के मुखिया/वरिष्ठ सदस्य के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

नाम (पूरा) ...................................................................................

मोबाइल नम्बर ...................................................................

**संलग्नक–12**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## निर्वाचक नामावली का वृहद् पुनरीक्षण, 2025

## बी0एल0ओ0 के लिये सामान्य अनुदेश

1– सौंपे गये कार्य क्षेत्र का विवरण बी0एल0ओ0 के पास होना अति आवश्यक है। बी0एल0ओ0 सौंपे गये कार्य क्षेत्र का विस्तार भली–भाँति समझ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि आप उस क्षेत्र के बाहर गणना कार्य नहीं कर रहें हैं और न ही उस क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ रहे हैं।

2– निम्नलिखित सामग्री लेकर कार्य क्षेत्र में जाएं :–

(क) निर्वाचक गणना पत्रक

(ख) कार्बन पेपर–10 अदद

(ग) बाल पेन, पेंसिल, रबड़ नोट बुक

(घ) स्टाम्प पैड–हस्ताक्षर न कर सकने वाले गृह स्वामियों का अंगूठा निशानी लेने हेतु।

(ड.) सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्डों का स्केच मानचित्र जिसमें गांव, हल्के, गली, कक्ष, मकान संख्या आदि दर्शित हों।

(च) वर्तमान निर्वाचक नामावली की प्रति।

(छ) बी0एल0ओ0 के लिये परिचय पत्र।

(ज) क्लिप बोर्ड–1

(झ) आलपिन का एक पत्ता

(ञ) टैग–10 अदद

(ट) पैमाना/स्केल–1 अदद

(ठ) फाइल कवर–2 अदद

(ड) उक्त सामग्री रखने हेतु थैला।

3– किसी भी निर्वाचक का नाम निर्वाचक गणना पत्रक में सम्मिलित करने से पूर्व निम्नलिखित अर्हता एवं अनर्हता सम्बन्धी प्रावधानों का भलीभाँति अध्ययन कर लें :–

(1) प्रत्येक वह व्यक्ति जो उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जा रही है, की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में सामान्य रूप से निवासी है, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा परन्तु :–

(क) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जाएगा कि वह वहाँ का सामान्य रूप से निवासी है।

(ख) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(ग) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी नहीं है।

(घ) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी समझा जाए या न समझा जाए, यह आवश्यक होगा कि वहाँ पर रात्रि निवास हेतु उसका किसी भी रूप में आवास/मकान हो और वह वहाँ माह में अधिकांशतः निवास करता हो परन्तु किसी सीजनल कार्य से चार–छः माह के लिए अपने निवास से बाहर जाने वाला व्यक्ति जो उसके बाद पुनः आकर वहीं निवास करता है, निर्वाचक के रूप में अनर्ह नहीं हो जाएगा और इस प्रकार चार छः माह के सीजनल कार्य से किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को सामान्य रूप से उस क्षेत्र का निवासी नहीं माना जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सामान्य रूप से निवास करने सम्बन्धी प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के आलोक में किया जाए।

(2) निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई व्यक्ति अनर्ह होगा यदि वह–

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(ग) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

4– निर्वाचक गणना पत्रक पर ऊपर पुराना मकान/नया मकान में किसी एक पर टिक किया जायेगा। पुराना घर है तो उपलब्ध कराई गई वर्तमान निर्वाचक नामावली के आधार पर किसी मकान नम्बर में परिवर्धित, संशोधित और विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों का विवरण भरा जाएगा। आयु के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशंका होने पर शैक्षिक प्रमाण–पत्र, जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र, कुटुम्ब रजिस्टर आदि से समाधान करके विवरण भरा जाएगा। यदि परिवर्धन/संशोधन/विलोपन नहीं है तो उस दशा में "कोई परिवर्तन नहीं" साफ शब्दों में लिखा जाएगा।

वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकानों तथा नव निर्मित मकानों में सामान्य रूप से निवास करने वाले वयस्क नागरिकों जिनका नाम पहले से निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है अथवा नामावली के किसी अन्य वार्ड में दर्ज हैं, का विवरण भी परिवर्धन सूची **(संलग्नक–16)** में दर्ज किया जाएगा। अन्य स्थान/वार्ड की नामावली में दर्ज नाम को विलोपित सूची में अंकित किया जाएगा। उक्त आधार पर ही तीन प्रकार की आलेख्य सूची निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–16, 17 तथा 18)** में तैयार की जाएंगी।

5– आप अपने क्षेत्र के प्रत्येक मकान में अवश्य जाएं। यदि नए मकान बन गए हों अथवा वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकान हों तो उनकी गणना भी कर ली जाए। ऐसे मकानों की संख्या उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में उसके पास के मकान संख्या के साथ क, ख, ग आदि जोड़कर दर्शित की जाय जैसे 8 क, 8 ख, 8 ग आदि। ऐसे मकानों की संख्या अंकित करने में यह ध्यान में रखा जाएगा कि वर्तमान निर्वाचक नामावली (जो आपको उपलब्ध कराई गई है) में जिस रूप में मकान संख्या अंकित है उसी रूप में अंकित की जाएगी, अर्थात यदि वर्तमान निर्वाचक नामावली में क, ख, ग रूप में अंकित है तो क, ख, ग के रूप में मकान संख्या अंकित की जाएगी। वे मतदाता जिनके मकान

के आगे नया मकान, नया भवन अथवा कुछ भी नही लिखा है उन्हें उपर्युक्त निर्देश के क्रम में मकान नं0 आवंटित करें।

6— यदि जाँच के दौरान किसी मकान में ताला लगा पाया जाए या घर का कोई वयस्क सदस्य न मिले तब उस मकान में जितनी बार सम्भव हो सके गणना हेतु जाएं और यह ज्ञात करें कि उस मकान में वास्तव में कोई रहता है या मकान उस समय खाली है। यदि कई बार जाने पर भी मकान बन्द मिलता है तो उस मकान का नम्बर और पता एक अलग सूची में दर्ज कर लें और सम्बन्धित पर्यवेक्षक को दे दें।

7— यदि किसी घर के अधिकांश वयस्क सदस्य दिन में किसी डयूटी पर या काम पर जाने के कारण न मिलते हों तो ऐसे मकानों में जल्दी प्रातः अथवा सूर्यास्त के बाद इस प्रकार जाएं कि वयस्क सदस्यों के ड्यूटी अथवा कार्य से वापस लौट आने की सम्भावना हों।

8— निर्वाचक गणना पत्रक में केवल सम्बन्धित घर के परिवर्धित, संशोधित, विलोपित होने वाले नामों व उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों को दर्ज करें। नये मकानों अथवा वर्तमान निर्वाचक नामावलियों में छूटे हुए मकानों के अर्ह सदस्यों के नाम को अवश्य दर्ज करें जो उस मकान के सामान्यतः निवासी हों और मकान नंबर के स्तम्भ में यथा स्थिति नया मकान नम्बर अंकित किया जाए।

9— पूर्व में यह भी देखने में आया है कि किसी एक मकान के कुछ मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में किसी एक वार्ड में दर्ज हैं जबकि शेष नाम किसी दूसरे वार्ड या वार्डों में अंकित हैं। एक मकान के सभी मतदाताओं के नाम उनसे सम्बन्धित एक ही वार्ड में एक ही स्थान पर दर्ज होने चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो उन मतदाताओं के नाम जो उनसे सम्बन्धित वार्ड में दर्ज नहीं है बल्कि अन्यत्र दूसरे वार्ड में दर्ज है, उन्हें वहाँ से विलोपित कर उनसे सम्बन्धित वार्ड के सम्बन्धित मकान में दर्ज कर दिए जाएं। तदनुसार उनके नाम विलोपन एवं परिवर्धन सूची में दर्ज किए जाएं।

10— मेहमान अथवा यदाकदा आने वाले व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल न किया जाए।

11— यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो उसका नाम शामिल कर लिया जाए।

12— लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों का नाम निर्वाचक नामावली में अंकित कर लिया जाए भले ही वे गणना के समय वहाँ न रहें हों।

13— किसी भी व्यक्ति का नाम सम्बन्धित क्षेत्र के विधान सभा/लोक सभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज है तो ऐसे मतदाताओं का नाम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाना चाहिए।

14— एक मकान के अर्ह सदस्यों की प्रविष्टि के लिये निर्वाचक गणना पत्रक का एक या अधिक पृष्ठ लगाया जा सकता है, किन्तु एक ही पृष्ठ पर दो मकानों के सदस्यों के नाम किसी भी दशा में शामिल न किए जाएं। प्रत्येक मकान के लिये अलग निर्वाचक गणना पत्रक इस्तेमाल किया जाए। यदि किसी आवासीय कालोनी में कोई भवन खाली पाया जाता है तो या उस समय उस मकान में कोई नहीं रहता है तब भी उसके लिये एक निर्वाचक गणना पत्रक पर इस बात का उल्लेख कर दिया जाए।

15— प्रत्येक निर्वाचक गणना पत्रक की प्रविष्टियों की तीन प्रतियाँ कार्बन पेपर से अवश्य बना ली जाएं। जिसमें पहली प्रति कार्यालय प्रति होगी, दूसरी प्रति परिवार के मुखिया को दी जाएगी तथा तीसरी प्रति बी0एल0ओ0 अपने पास रखेंगे।

16— निर्वाचक गणना पत्रक पर गृहस्वामी या उसकी अनुपस्थिति में किसी उपलब्ध वयस्क सदस्य के स्पष्ट नाम सहित हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा पहली एवं तीसरी प्रति पर प्राप्त कर लिया जाए।

17— निर्वाचक गणना पत्रक पर सूचना देने वाले गृह स्वामी के हस्ताक्षर कराने के पश्चात् बी0एल0ओ0 अपना हस्ताक्षर करेंगे और स्पष्ट नाम लिखने के पश्चात् कार्ड की दूसरी प्रति गृह स्वामी को देंगे और पहली प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाएंगे।

18— गृह स्वामी को यह समझा दिया जाए कि निर्वाचक गणना पत्रक सुरक्षित रखें।

19– अपना कार्य नियत समय के भीतर पूरा कर लें और काम पूरा होने पर सभी अभिलेख सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौप दें।

20– क्षेत्र का निर्धारित कार्य पूरा हो जाने पर आप पर्यवेक्षक को ऐसे मकानों की कारण सहित सूची देंगे जिनकी गणना नहीं हो सकी है ताकि पर्यवेक्षक पुनः ऐसे मकानों की जाँच कर सकें।

21– क्षेत्र का कार्य पूरा हो जाने पर आप नियत प्ररूप में प्रमाणित करेंगे कि आपसे सम्बन्धित पूरे क्षेत्र का निर्धारित कार्य कर लिया गया है और आप त्रुटियों के लिए उत्तरदायी होगें।

22– यह सुनिश्चित कर लें कि जिस ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों अथवा एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जितने भाग की गणना का कार्य किया गया है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। यह भी ध्यान रखा जाए कि निर्वाचक का नाम बड़े अक्षरों में साफ–साफ लिखा जाए। एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ही दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में कार्य हेतु जाएं।

**ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें :–**

(1) बी0एल0ओ0 के रूप में कार्य करते हुए यह ध्यान रखें कि निर्वाचक नामावली की शुद्धता आपके कार्य पर निर्भर करती है।

(2) निर्वाचक की आयु अर्हता उस वर्ष 01 जनवरी के आधर पर अंकित की जाएगी, जिस वर्ष निर्वाचक नामावली पुनरीक्षित की जा रही हो। उक्त वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्वाचक के नाम निर्वाचक गणना पत्रक में अंकित किए जाएंगे।

(3) निर्वाचक का नाम बड़े अक्षरों में साफ–साफ लिख जाएगा।

(4) कार्य पूरा हो जाने पर हस्तलिखित प्रतियाँ बनाते समय स्केच मानचित्र और क्षेत्र विवरण से जाँच कर लें कि आपको सौंपे गये कार्य क्षेत्र के सभी घरों का निर्धारित कार्य पूर्ण हो गया है अर्थात यह देख लें कि कोई भाग छूटा तो नहीं है अथवा कोई क्षेत्र के बाहर का भाग शामिल तो नही हो गया है।

(5) निर्वाचक गणना पत्रक की प्रविष्टियों के आधार पर पाण्डुलिपि **(संलग्नक–16, 17 तथा 18)** दो प्रतियों में तैयार करते समय अनिवार्य रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर प्ररूप में दी गयी पेशानी का उल्लेख किया जाएगा।

वर्ष, 2025 में होने वाले पुनरीक्षण में मतदाताओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा आयोग की बेवसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऐसी आने वाली सभी प्रविष्टियों की जाँच सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बी0एल0ओ0 के माध्यम से कराएंगे एवं सत्यापन के बाद समस्त डाटा फीडिंग के उपरान्त ऑनलाइन स्वीकार करेंगे। इन आवेदन पत्रों की अलग से फीडिंग की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

**संलग्नक–13**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## <u>पुनरीक्षण कार्य पूर्ण होने पर बी0एल0ओ0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र</u>

1. बी0एल0ओ0 का आईडी क्रमाँक ..........................................................................................................
2. बी0एल0ओ0 का नाम ..........................................................................................................
3. पूरा अधिकारिक पदनाम ..........................................................................................................
4. कार्यालय का पता ..........................................................................................................
5. निवास का पता ..........................................................................................................
6. कार्य को प्रारम्भ करने का दिनाँक ..........................................................................................................
7. कार्य को पूर्ण करने का दिनाँक ..........................................................................................................
8. **आवंटित कार्य क्षेत्र का विवरण :–**

   (8.1) जनपद का नाम ..........................................................................................................

   (8.2) तहसील का नाम ..........................................................................................................

   (8.3) विकास खण्ड का नाम ..........................................................................................................

   (8.4) ग्राम पंचायत का नाम ..........................................................................................................

   (8.5) मतदान केन्द्र का नाम ..........................................................................................................

   (8.6) मतदान स्थलों की कुल संख्या ..........................................................................................................
9. **किए गए कार्य का विस्तृत विवरण :–**

   (9.1) सौपें गए भवनों/मकानों की कुल संख्या ..........................................................................................................

   (9.2) उनमें आवासीय भवनों/मकानों की कुल संख्या ..........................................................................................................

   (9.3) उन ऐसे भवनों/मकानों की कुल संख्या जो आवासीय नहीं हैं..........................................................................................................

   (9.4) उन आवासों/मकानों की संख्या जिनका निरीक्षण नही हो सका..........................................................................................................
10. **मेरे द्वारा किए गए पुनरीक्षण कार्य का विवरण :–**

    (10.1) प्राप्त कुल परिवर्धन ..........................................................................................................

    (10.2) प्राप्त कुल संशोधन ..........................................................................................................

(10.3) प्राप्त कुल विलोपन ........................................................................................................................ .

(10.4) उन परिवारों की संख्या जिनकी गणना की गई..................................................................................

(10.5) कुल मतदाताओं की संख्या जिनके निर्वाचक गणना पत्रक बनाए गए हैं.....................................

11. **प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि** :–

(11.1) उपरिलिखित किए गए कार्य का विवरण सही है।

(11.2) वृहद् पुनरीक्षण के लिए जो भी मकान मुझे सौंपे गए उनमें से प्रत्येक मकान का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया तथा निर्वाचक गणना पत्रक में प्रविष्टियाँ अंकित की गयी हैं।

(11.3) आवंटित क्षेत्र/मतदान केन्द्र/ग्राम पंचायत के विधान सभा की मतदाता सूची के सभी मतदाताओं को ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज कर लिया गया है।

(11.4) .................................. घरों को बन्द पाया और मैं इन बन्द घरों को बार–बार देखने गया। मैनें अपने पर्यवेक्षक को जाँच के लिए उन बंद मकानों की सूची भी दी है।

(11.5) मैने सौंपे गए सम्पूर्ण क्षेत्र में घर–घर जाकर वृहद् पुनरीक्षण कार्य किया हैं। मै किसी भी नाम के छूट जाने और किसी भी अतिरिक्त नाम के सम्मिलित हो जाने के लिए जिम्मेदार हूँ।

स्थान :–

दिनाँक :– बी0एल0ओ0 का नाम व हस्ताक्षर

**संलग्नक–14**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## पर्यवेक्षक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जनपद..........................................................तहसील ................................................ विकास खण्ड........................................की न्याय पंचायत क्षेत्र..........................................की मतदान केन्द्र/ग्राम पंचायत 1.......... 2........... 3.......... 4........... 5.......... 6............ 7............ 8..........से सम्बन्धित बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर निर्वाचक नामावलियों के किये जा रहे वृहद् पुनरीक्षण कार्य की 10 प्रतिशत जाँच मेरे द्वारा कर ली गयी है। उक्त निर्वाचन क्षेत्र में वृहद् पुनरीक्षण कार्य सही प्रकार से किया गया है और कोई भाग निर्वाचक नामावलियों में अंकित होने से नहीं छूटा है।

दिनाँक

हस्ताक्षर,

पर्यवेक्षक..........................................
न्याय पंचायत..................................
विकास खण्ड..................................
तहसील..........................................

**संलग्नक–15**

**राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0**

## <u>सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र</u>

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जनपद ..................................तहसील ..........................................................के अर्न्तगत समस्त ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर निर्वाचक नामावलियों के किये जा रहे वृहद् पुनरीक्षण कार्य की 10 प्रतिशत जाँच सम्बन्धित पर्यवेक्षकों द्वारा कर ली गयी है। मैंने भी अपने तहसील क्षेत्र में स्थित 2 प्रतिशत मकानों के निर्वाचक गणना कार्डों की जाँच की है। उक्त निर्वाचन क्षेत्र में वृहद् पुनरीक्षण कार्य सही प्रकार से किया गया है और कोई भाग निर्वाचक नामावलियों में अंकित होने से नही छूटा है।

दिनाँक :

हस्ताक्षर,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
विकास खण्ड.................................................
तहसील..........................................................

**संलग्नक–16**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

### पंचायत निर्वाचक नामावली वर्ष, 2025
### परिवर्धन सूची

जनपद ................................................ विकास खण्ड का कोड व नाम.......................... ग्राम पंचायत का कोड व नाम ..................................
मतदान केन्द्र संख्या व नाम ............. मतदान स्थल संख्या व नाम .............................. मतदान स्थल पर सम्बद्ध वार्ड............से...............तक

| क्र0 सं0 | वार्ड सं0 | मकान नं0 | मकान पुराना/नया | मतदाता का नाम | पिता/पति/माता का नाम | पु0/ म0 | आयु | मोबाइल नं0 | आधार कार्ड सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

बी0एल0ओ0 के हस्ताक्षर
नाम..............................

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
नाम........................................................

हस्ताक्षर व मोहर
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

संलग्नक–17

# राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## पंचायत निर्वाचक नामावली वर्ष, 2025
## संशोधन सूची

जनपद ...................................................................
विकास खण्ड का कोड व नाम..................................
ग्राम पंचायत का कोड व नाम ..............................
मतदान केन्द्र संख्या व नाम ............................
मतदान स्थल संख्या व नाम .....................................
मतदान स्थल पर सम्बद्ध वार्ड............से.........तक

| क्र0 सं0 | पुरानी निर्वाचक नामावली मे निर्वाचक का विवरण | | | | संशोधन के बाद निर्वाचक का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वार्ड सं0 | निर्वाचक का क्रमाँक | मकान नं0 | मतदाता का नाम | वार्ड सं0 | मकान नं0 | मतदाता का नाम | पिता/पति/माता का नाम | पु0/म0 | आयु | मोबाइल नं0 | आधार कार्ड सं0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

बी0एल0ओ0 के हस्ताक्षर
नाम....................................................

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
नाम......................................................

हस्ताक्षर व मोहर
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

संलग्नक–18

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

पंचायत निर्वाचक नामावली वर्ष, 2025

विलोपन सूची

जनपद ..................................................................... ग्राम पंचायत का कोड व नाम ..............................................

मतदान केन्द्र संख्या व नाम ...................................... मतदान स्थल संख्या व नाम ................................................

मतदान स्थल पर सम्बद्ध वार्ड...............से........तक

| क्र0 सं0 | पुरानी निर्वाचक नामावली मे निर्वाचक का विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वार्ड सं0 | निर्वाचक का क्रमाँक | मकान नं0 | मतदाता का नाम | पिता/पति/माता का नाम | पु0/म0 | आयु |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

बी0एल0ओ0 के हस्ताक्षर
नाम....................................................
मोबाइल संख्या................................

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
नाम.........................................................

हस्ताक्षर व मोहर
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

**संलग्नक–19**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

### अनन्तिम पंचायत निर्वाचक नामावली वर्ष, 2025

जनपद ........................................... विकास खण्ड ...........................................................................

ग्राम पंचायत का नाम........................................................................ वार्ड क्रमाँक ...........................

मतदान स्थल पर सम्बद्ध वार्ड ................................................. से ................................................ तक

मतदान केन्द्र संख्या व नाम .............................................................................................................

मतदान स्थल की संख्या व नाम............................................................................................................

| क्रमाँक | मकान नम्बर | मतदाता का नाम | पिता / पति / माता का नाम | पुरूष / महिला | आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

हस्ताक्षर व मुहर
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

**संलग्नक–20**

**राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0**

## कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
## तहसील......................जनपद..........................

## निर्वाचक नामावली से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने सम्बन्धी विनिश्चय की सूचना

क्रमाँक :– स्थान :–
दिनाँक :–

श्री ..........................................................................................................

पुत्र श्री ..........................................................................................................

निवासी ..........................................................................................................

---

विषय : श्री ........................................ पुत्र श्री .................................... का नाम ग्राम पंचायत .................. के वार्ड संख्या ...................... से निर्वाचक के तौर पर हटाए जाने के सम्बन्ध में

मेरे समक्ष श्री/कु0/श्रीमती ........................................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..................................... निवासी ग्राम ........................................................... विकास खण्ड ............................... द्वारा ग्राम पंचायत ........................................... के वार्ड संख्या ................ की निर्वाचक नामावली के क्रमाँक ...................... पर अंकित उपर्युक्त श्री ........................................................... पुत्र श्री ........................................................ का नाम हटाए जाने सम्बन्धी आपत्ति प्राप्त हुई थी जिसमें उपर्युक्त श्री .............................................................. को भी सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मामले की सम्यक् जाँचोपरान्त मैंने अपने आदेश दिनाँक ......................... में उपर्युक्त श्री .................................... पुत्र श्री ......................................................... का नाम ग्राम पंचायत .............................. के वार्ड संख्या से निर्वाचक के रूप में हटाए जाने का विनिश्चय किया है।

अतः एतद्द्वारा इस आशय की सूचना श्री ............................................................. को मेरे आदेश दिनाँक ...................... की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

हस्ताक्षर
नाम.........................................
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
मुहर

**संलग्नक–21**

**राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0**

दिनाँक ...............................

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकारी/
जिला मजिस्ट्रेट
जिला........................

**विषय : सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकररण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील।**

महोदय,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ग्राम पंचायत ........................................ विकास खण्ड........................................ तहसील........................................ के आदेश दिनाँक..........................से क्षुब्ध होकर मैं उसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करता/करती हूँ प्रश्नगत आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

2– सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष मैंने निम्नाँकित आपत्ति या दावा किया था :–

......................................................................
......................................................................
......................................................................

3– मेरी अपील के निम्नांकित आधार है :–

(1) ..................................................................................................................................................

(2) ..................................................................................................................................................

4– निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाय तथा मेरा दावा/मेरी आपत्ति स्वीकार की जाए।

यदि अपीलार्थी ग्राम का मतदाता हो
तो मतदाता सूची में उसका विवरण–

हस्ताक्षर (अपीलार्थी) ................................
नाम ...........................................................
पिता/पति/माता का नाम ....................
पता ............................................................
...................................................................

ग्राम पंचायत ...........................
वार्ड क्रमाँक ............................
मतदाता सूची में अनुक्रमाँक .................

## घोषणा

मै, उपरोक्त वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त प्रस्तरों में उल्लिखित कथन सत्य है।

हस्ताक्षर (अपीलार्थी) ...............................

नाम ............................................................

संलग्नक– सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश दिनाँक.......................की प्रतिलिपि।

## अपीलीय प्राधिकारी के उपयोग हेतु

यह अपील आज दिनाँक .................................. को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई।

इसमें सुनवाई के लिए दिनाँक ................................... निर्धारित कर उसकी सूचना अलग से अपीलार्थी को दी जाए।

....................................................................

हस्ताक्षर,<br>
आज्ञा से<br>
जिला मजिस्ट्रेट/अपीलीय प्राधिकारी

## अपीलीय प्राधिकारी का आदेश

अपीलीय प्राधिकारी

**संलग्नक–22**

**राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0**

**कार्यालय अपीलीय अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट**
**जनपद ......................**

सेवा में,

..............................................................
.............................................................

# अपील प्राप्ति की रसीद व उस पर सुनवाई के दिनाँक की सूचना

सूचित किया जाता है कि जनपद.........................................की तहसील.................................................. विकास खण्ड .......................................... की ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ................... की निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में आपके द्वारा श्री ....................................................................... के नाम प्रविष्टि को सम्मिलित किये जाने/शुद्ध करने/निकाले जाने के सम्बन्ध में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय/आदेश दिनाँक से क्षुब्ध होकर आपके द्वारा अपील दायर की गयी है। आपके आवेदन पर अपील अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनाँक .................... को ............................... (स्थान) .................. समय सुनवाई की जाएगी।

अतः उपर्युक्त दिनाँक को निर्धारित समय व स्थान पर ऐसे साक्ष्य के साथ, जिसे आप प्रस्तुत करना चाहें, उपस्थित हों।

अपील प्राप्त करने के लिये
अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर
आज्ञा से
अपीलीय प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट

सूचना प्राप्त हुई
आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : श्री/श्रीमती/कु0 .................................... निवासी ............................................................................
..................... को सूचनार्थ।

सूचना प्राप्त हुई
आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई।

**संलग्नक–23**

## राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

## <u>कार्यालय अपीलीय प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट</u>

**जनपद ..................................**

क्रमाँक ............................. दिनाँक ..........................

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.........................................................

**विषय : सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील में पारित किये गए आदेश के अनुसार मतदाता सूची में संशोधन हेतु।**

मेरे समक्ष श्री/कु0/श्रीमती ..................................................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री............................................................ निवासी ग्राम ...................................................................... विकास खण्ड..................................................तहसील............................ द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ग्राम पंचायत ............................................................ के आदेश दिनाँक ......................... के विरूद्ध अपील दायर की गयी थी।

उक्त मामले में समुचित जाँच के पश्चात् मैनें दिनाँक ....................... को जो आदेश पारित किया, उसे प्रभावी करने के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में निम्नांकित संशोधन कराया जाए।

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

संलग्नक : अपील में पारित आदेश दिनाँक .................... सहित प्रकरण की मूल प्रति संलग्न

हस्ताक्षर

अपीलीय प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ग्राम पंचायत ............................... विकास खण्ड............ .......................... तहसील ..............................
2. उप जिलाधिकारी, तहसील ............................
3. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

हस्ताक्षर

अपीलीय प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट

**संलग्नक–24**

# निर्वाचक नामावली तैयार करने से संबंधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) के संहत प्रावधानों का उद्धरण

धारा–9, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली–

(1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली, (इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन तैयार की जाएगी।

(1–क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण, और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(1–ख) निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जाएगी जैसी नियत की जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली नियत रीति से प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिए जाने पर वह (इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार) किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

(3) उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण–(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास–गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जाएगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाय, विचार किया जाएगा।

(पाँच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहाँ का निवासी है, तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा, यदि वह –

(क) भारत का नागरिक न हो; या

(ख) विकृतचित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो; या

(ग) निर्वाचनों सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

(5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाए, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :—

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गई है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(7) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नही होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी या छावनी से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

(8) जहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी चाहे, उसको दिए गए किसी आवेदन पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्द्धित किया जाना चाहिए, वहाँ वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनाँक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जाएगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(9) राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिए जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाए।

(10) जहाँ तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध बना सकता है, अर्थात् —

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने का दिनाँक और उसके प्रवर्तन की अवधि;

(ख) निर्वाचक नामावली में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन–पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि;

(घ) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना;

(एक) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न होगा जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में गलती से सम्मिलित किया गया हो, या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो:

(ड.) निर्वाचक नामावलियों के अभिरक्षा और उनका परिरक्षण;

(च) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन–पत्र पर देय फीस;

(छ) निर्वाचक नामावलियाँ तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय;

(11) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिए, तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से हो:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन के अन्तिम दिनाँक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्धन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(12) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी –

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं; या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्यवाही (या इस निमित्त नियुक्त किये गए किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गए किसी विनिश्चय) की वैधता पर आपत्ति करना।

———